Yojna IAS

योजना है तो सफलता है

yojnaias.com

अप्रैल 2024

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

योजना आई.ए.एस. साप्ताहिक करंट अफेयर्स

08/04/2024 से 15/04/2024 तक

दिल्ली कार्यालय

706 ग्राउंड फ्लोर डॉ मुखर्जी नगर बत्रा

नोएडा कार्यालय

बेसमेन्ट सी-32 नोएडा सैक्टर-2 उत्तर

मोबाइल नं. : +91 8595390705

वेबसाइट : www.yojnaias.com

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो दर संबंधी फैसला	1 - 8
2.	भारत मौसम विज्ञान विभाग : कार्य और जिम्मेदारियाँ	8 - 15
3.	नेपाल की संघीय संसद द्वारा बिम्सटेक चार्टर को अपनाना	15 - 24
4.	भारत में चुनावी बॉण्ड योजना की वैधता बनाम मूल अधिकारों का उल्लंघन	24 - 32
5.	भारत में परमाणु घड़ियाँ	32 - 35
6.	भारत में 'विश्व हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 का महत्व	36 - 39
7.	भारत में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए), 1951 और निजता का अधिकार	40 - 44

करंट अफेयर्स
अप्रैल 2024

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो दर संबंधी फैसला

(यह लेख 'इंडियन एक्सप्रेस', 'द हिन्दू' 'जनसत्ता' और 'पीआईबी' के सम्मिलित संपादकीय के संक्षिप्त सारांश से संबंधित है। इसमें योजना IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के:अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 3 – भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास तथा योजना खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत रेपो दर, मौद्रिक नीति समिति खंड से संबंधित है। यह लेख 'दैनिक करंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो दर संबंधी फैसला ' से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?

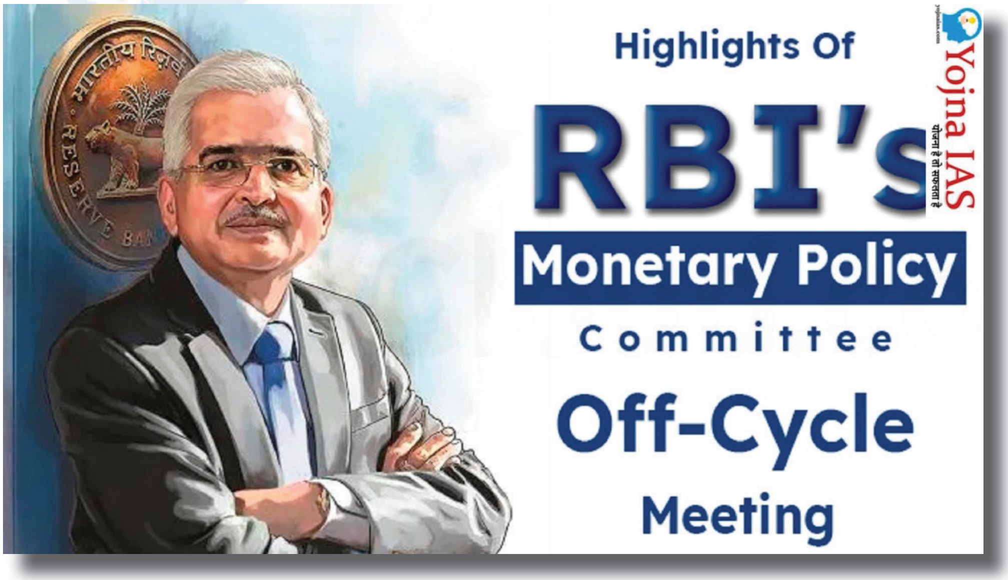

- भारत में हाल ही में 5 अप्रैल 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने भारत में खाद्य पदार्थों की बढती कीमतों के दबाव को देखते हुए अपनी बैठक में रेपो रेट को लगातार सातवीं बार 6.5 फीसदी पर अपरिवर्तित ही रखा है।
- भारत में खाद्य पदार्थों की बढती कीमतों का दबाव मुद्रास्फीति की रफ्तार को टिकाऊ आधार पर चार फीसदी के लक्ष्य तक धीमी

करने के आरबीआई के प्रयासों में बाधा बन रहा है।

- हाल ही में हुए भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में वित्त वर्ष 2024 – 2025 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितं-बर) में खुदरा मुद्रास्फीति के चार फीसदी के महत्वपूर्ण स्तर से नीचे आने की संभावना भी जताई गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति क्या है ?

- भारत में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति होती है।
- इसका गठन वर्ष 2016 में भारत में ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी एवं पारदर्शी बनाने के लिए किया गया था।
- रिज़र्व बैंक का गवर्नर इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है।
- भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति को भारत में एक वैधानिक और संस्थागत ढांचा प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (आरबीआई अधिनियम) को वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा संशोधित किया गया है।
- भारत में आरबीआई के संशोधित इस अधिनियम की 1934 की धारा 45ZB के तहत, केंद्र सरकार को छह सदस्यीय एमपीसी गठित करने का अधिकार है ।
- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन करते हुए भारत में मौद्रिक नीति निर्माण को एक नवगठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) को सौंप दिया गया है।
- मौद्रिक नीति वह उपाय या उपकरण है है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक ब्याज दरों पर नियंत्रण कर अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करता है, मूल्य स्थिरता बनाये रखता है और उच्च विकास दर के लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास करता है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, मौद्रिक नीति समिति के छह सदस्यों में से तीन सदस्य रिज़र्व बैंक से होते हैं, जिनमें गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर तथा एक अन्य अधिकारी शामिल होता है।
- अन्य तीन सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। जिनका चयन कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा किया जाता है। इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, तथा वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते है।
- मौद्रिक नीति समिति (MPC) की एक वर्ष में 4 बैठकें होना अनिवार्य है जिसमें बैठक के लिए कोरम चार सदस्यों का होता है।

- इस समिति में निर्णय बहुमत के आधार पर किया जाता हैं और समान मतों की स्थिति में रिज़र्व बैंक का गवर्नर अपना निर्णायक मत देता है।

एमपीसी के वर्तमान सदस्य :

- मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) में छह सदस्य हैं, जिनमें से तीन भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से हैं और अन्य तीन प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं।
- RBI के सदस्य शक्तिकांत दास (RBI के गवर्नर), डॉ. माइकल देबब्रत पात्रा (RBI के डिप्टी गवर्नर), और राजीव रंजन (RBI के कार्यकारी निदेशक) हैं।
- प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉ. जयंती वर्मा, डॉ. आशिमा गोयल और डॉ. शशांक भिड़े हैं।
- आरबीआई अधिनियम के अनुसार, एमपीसी को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम चार बार बैठक करना आवश्यक है। एमपीसी का अध्यक्ष आरबीआई गवर्नर होता है

मौद्रिक नीति समिति का मुख्य कार्य :

- **आर्थिक विश्लेषण और पूर्वानुमान करना :** एमपीसी मुद्रास्फीति, जीडीपी वृद्धि, रोजगार, राजकोषीय स्थितियों और वैश्विक आर्थिक विकास सहित विभिन्न आर्थिक संकेतकों का गहन विश्लेषण और पूर्वानुमान करता है।
- **मुद्रास्फीति लक्ष्य तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बीच तालमेल स्थापित करना :** सरकार द्वारा निर्धारित वर्तमान मुद्रास्फीति

लक्ष्य +/- 2% के सहनशीलता बैंड के साथ 4% का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति लक्ष्य है।

- **भारत में नीतिगत ब्याज दरें और रेपो दर निर्धारित करना :** एमपीसी का प्राथमिक कार्य नीतिगत ब्याज दरें, विशेष रूप से रेपो दर निर्धारित करना है।
- **समीक्षात्मक निर्णय लेना :** भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति भारत में मौद्रिक नीति रुख की समीक्षा के लिए एमपीसी साल में कम से कम चार बार बैठक निर्धारित करती है ।

रेपो दर :

- भारतीय रिज़र्व बैंक अपने ग्राहकों को लघु अवधि के लिए दिए जाने ऋण पर जो ब्याज दर लागू करती है, उसे रेपो दर कहते हैं। अतः रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से पैसा लेते हैं या उधार लेते हैं।
- भारत में भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है।
- भारत में रेपो दर का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति द्वारा किया जाता है।

- अतः भारत में रिज़र्व बैंक के सभी ग्राहक – बैंक, केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार रेपो दर के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
- भारतीय रिज़र्व बैंक से ऋण लेने के लिए ग्राहकों को अपनी सरकारी प्रतिभूतियों को भारतीय रिज़र्व बैंक के पास गिरवी रखना पड़ता है।
- बैंक वैधानिक तरलता अनुपात(SLR) के तहत रिज़र्व बैंक के पास रखी प्रतिभूतियों का प्रयोग रेपो दर के तहत ऋण लेने के लिए नहीं कर सकते है।

भारत में रेपो दर में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले प्रभाव :

- भारत में रेपो दर में वृद्धि का अर्थ होता है, कि कर्ज महंगा होगा और मौजूदा ऋण की मासिक किस्त बढ़ेगी।
- भारत में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति द्वारा रेपो रेट बढ़ाने से बैंक रिजर्व बैंक से कम नकदी उधार लेते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाती है और इस प्रक्रिया से यह उम्मीद की जाती है कि इससे महंगाई में कमी आयेगी।
- रेपो दर बढ़ने के बाद बैंक होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन आदि कर्जों की दरें बढ़ा देते हैं, जिससे लोन लेने वालों का खर्चा बढ़ जाता है।
- किसी भी अर्थव्यवस्था में रेपो रेट में वृद्धि होने से नागरिकों के उपभोग और मांग पर असर पड़ सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति द्वारा वर्तमान में लिया गया निर्णय :

- इस बैठक में रेपो रेट के संबंध में किसी भी तरह के परिवर्तन को नकारते हुए रेपो रेट को 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया गया है।
- हाल के सप्ताहों में तरलता में कमी के बावजूद आरबीआई ने आवास वापसी के नीतिगत रुख को बरकरार रखा है। आवास को वापस लेने का अर्थ मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को कम करना है।
- भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को 7 प्रतिशत और खुदरा मुद्रास्फीति को 4.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। फरवरी 2024 में, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति जनवरी 2024 में 5.1 प्रतिशत की तुलना में 5.09 प्रतिशत थी।
- भारत में खाद्य मुद्रास्फीति लगातार काफी अस्थिरता पैदा कर रही है जिससे अवस्फीति की प्रक्रिया बाधित हो रही है।
- निरंतर और मजबूत सरकारी पूंजीगत व्यय; बैंकों और कॉरपोरेट्स की स्वस्थ बैलेंस शीट; बढ़ती क्षमता उपयोग के कारण निवेश गतिविधि की संभावनाएं उज्ज्वल बनी हुई हैं, जो यह निजी पूंजीगत व्यय चक्र के लगातार व्यापक होते जाने के कारण है। हालाँकि, लंबे समय से चले आ रहे भू-राजनीतिक तनाव और व्यापार मार्गों में बढ़ते व्यवधान से परिदृश्य पर जोखिम पैदा हो गया है।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भारतीय रूपया उभरते बाजारों और कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की अन्य मुद्राओं की तुलना में भारतीय रूपया की स्थिति एक निश्चित दायरे में रहा। इस स्थिरता से यह पता चलता कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, वित्तीय रूप से स्थिर है और विश्व बाजार में इसकी स्थिति में सुधार हुआ है।

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति द्वारा वर्तमान में घोषित नए उपाय :

- **UPI के जरिए बैंकों में कैश जमा करने का प्रस्ताव :** यूपीआई की लोकप्रियता और सुविधा को ध्यान में रखते हुए , आरबीआई ने नकद जमा सुविधा के लिए यूपीआई को सक्षम करने का प्रस्ताव दिया है।

- **प्री-पेड इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई) के लिए यूपीआई एक्सेस का प्रस्ताव :** पीपीआई धारकों को अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए, आरबीआई ने तीसरे पक्ष के यूपीआई अनुप्रयोगों के माध्यम से पीपीआई को जोड़ने की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया है।
- पीपीआई एक प्रकार का वित्तीय उपकरण है जो उपयोगकर्ताओं को भविष्य में उपयोग के लिए प्रीपेड खाते या कार्ड पर पैसे लोड करने की अनुमति देता है। इससे पीपीआई धारक बैंक खाताधारकों की तरह यूपीआई भुगतान करने में सक्षम होंगे।
- वर्तमान में, बैंक खातों से यूपीआई भुगतान बैंक के यूपीआई ऐप के माध्यम से बैंक खाते को लिंक करके या किसी तीसरे पक्ष के यूपीआई एप्लिकेशन का उपयोग करके किया जा सकता है। हालाँकि, पीपीआई के लिए वही सुविधा उपलब्ध नहीं है।
- पीपीआई का उपयोग वर्तमान में केवल पीपीआई जारीकर्ता द्वारा प्रदान किए गए एप्लिकेशन का उपयोग करके यूपीआई लेनदेन करने के लिए किया जा सकता है।
- **सीबीडीसी के लिए गैर-बैंक ऑपरेटरों के माध्यम से प्रस्ताव :** आरबीआई ने गैर-बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के माध्यम से सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्राओं (सीबीडीसी) के वितरण का भी निर्णय लिया ।
- सीबीडीसी एक केंद्रीय बैंक द्वारा डिजिटल रूप में जारी की गई कानूनी निविदा है। डिजिटल रुपया (ई-रुपी) आरबीआई द्वारा शुरू की गई डिजिटल मुद्रा है।
- आरबीआई ने डिजिटल रुपये को दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया है: – पहला सामान्य प्रयोजन (खुदरा) और दूसरा थोक। अतः यह सीबीडीसी-रिटेल को उपयोगकर्ताओं के व्यापक वर्ग के लिए सुलभ बना देगा।
- **सॉवरेन ग्रीन बांड (एसजीआरबी) में व्यापक अनिवासी भागीदारी की सुविधा का प्रस्ताव :** आरबीआई गैर-निवासियों के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (एसजीआरबी) में भाग लेना आसान बना रहा है।
- वित्त वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में एक घोषणा के आधार पर, सरकार ने जनवरी 2023 में एसजीआरबी जारी किए थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में पात्र विदेशी निवेशकों को इन बांडों में निवेश करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।
- वर्तमान में, सेबी के साथ पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को सरकारी प्रतिभूतियों में एफपीआई द्वारा निवेश के लिए उपलब्ध विभिन्न मार्गों के तहत एसजीआरबी में निवेश करने की अनुमति है।
- **आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना के लिए मोबाइल ऐप का परिचय :** RBI ने अपनी RBI रिटेल डायरेक्ट योजना के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने का निर्णय लिया है, जिसे सबसे पहले वर्ष 2021 के नवंबर में पेश किया गया था।
- यह ऐप व्यक्तिगत निवेशकों को आरबीआई के साथ गिल्ट खाते बनाए रखने और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की सुविधा प्रदान करेगा।
- गिल्ट खाता सरकारी प्रतिभूतियों, जैसे ट्रेजरी बांड, के लिए एक बचत खाता होता है।
- यह एक बैंक खाते के समान है लेकिन इसमें नकदी के बजाय सरकारी प्रतिभूतियों का उपयोग किया जाता है।
- यह योजना निवेशकों को प्राथमिक नीलामी में प्रतिभूतियां खरीदने और एनडीएस-ओएम प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रतिभूतियों का व्यापार करने की अनुमति देती है।
- **तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) ढांचे की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया :** एलसीआर ढांचे में शामिल बैंकों को अगले 30 दिनों में अपेक्षित शुद्ध नकदी बहिर्प्रवाह को सम्मिलित करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्यूएलए) का भंडार रखना होगा।

- हाल की कुछ घटनाओं से यह पता चलता है कि तनावपूर्ण समय के दौरान जमाकर्ता खासकर ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग करके अपनी जमा राशि को जल्दी से निकाल लेते हैं या स्थानांतरित कर सकते हैं।
- ऐसे उभरते जोखिमों के लिए एलसीआर ढांचे के तहत कुछ निर्णयों पर फिर से गौर करने की आवश्यकता हो सकती है।
- इसलिए, बैंकों द्वारा तरलता जोखिम के बेहतर प्रबंधन की सुविधा के लिए एलसीआर ढांचे में कुछ संशोधन प्रस्तावित किए जा रहे हैं।

निष्कर्ष / आगे की राह :

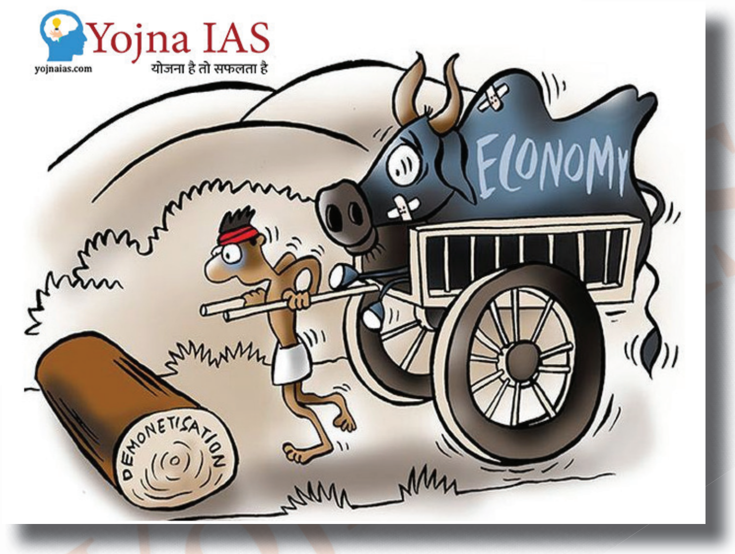

- मौद्रिक नीति किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा समग्र धन आपूर्ति को नियंत्रित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने एवं ब्याज दरों को संशोधित करने तथा बैंक आरक्षित आवश्यकताओं को बदलने जैसी रणनीतियों को नियोजित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों का एक सेट होता है।
- अतः भारत के अर्थव्यवस्था के संबंध में मूल्य स्थिरता के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए।
- भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति निर्माताओं के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में नागरिकों के आय में वृद्धि और गैर-जरूरी चीजों पर खर्च करने की इच्छा में वृद्धि निजी उपभोग में मजबूती के लिहाज से अच्छा संकेत है।
- एमपीसी मार्च 2025 तक 12 महीनों में आर्थिक विकास के अनुमानों को लेकर कहीं ज्यादा आश्वस्त है। अतः इस साल भी सकल घरेलू उत्पाद में औसतन सात फीसदी की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इसके लिए यह कई कारकों- सामान्य दक्षिण-पश्चिम मानसून की उम्मीदों के चलते कृषि गतिविधियों व ग्रामीण मांग को बढ़ावा मिलने से लेकर विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र को निरंतर रफ्तार मिलना जरूरी है।
- मौद्रिक नीति समिति आरबीआई के उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण में शामिल सभी पांच प्रमुख मापदंडों पर एक साल की अवधि में सुधार होने की उम्मीद की ओर इशारा करता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के और अधिक मजबूत होने और तीव्र गति से विकास करने को दर्शाता है।
- अतः यह भारत कीअर्थव्यवस्था और भारत के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) दोनों के ही मजबूत होने और उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है।

स्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. इसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (आरबीआई अधिनियम) केवित्त अधिनियम, 2016 द्वारा संशोधित किया गया है।
2. इस समिति के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, तथा वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते है।
3. भारत का वित्त मंत्री इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है।
4. इस समिति की किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान एक वर्ष में 6 बैठकें होना अनिवार्य होता है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1 , 2 और 3

B. केवल 2, 3 और 4

C. केवल 1 और 4

D. केवल 1 और 2 .

उत्तर – D.

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. 1. भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के प्रमुख्य कार्यों को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि भारत में कम मुद्रास्फीति और स्थिर जीडीपी वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करता है ? तर्कसंगत उत्तर दीजिए।

भारत मौसम विज्ञान विभाग : कार्य और जिम्मेदारियाँ

(यह लेख 'इंडियन एक्सप्रेस', 'द हिन्दू' 'जनसत्ता' और 'पीआईबी' के सम्मिलित संपादकीय सारांश से संबंधित है। इसमें योजना IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा परीक्षा के:सामान्य अध्ययन के अंतर्गत 'भारतीय भूगोल' खंड से संबंधित है। यह लेख 'दैनिक करंट अफेयर्स' के अंतर्गत 'भारत मौसम विज्ञान विभाग : कार्य और जिम्मेदारियाँ' से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने भारत में ग्रीष्म ऋतु से संबंधित अप्रैल से जून) 2024 के लिए एक अद्यतन मौसमी दृष्टिकोण से संबंधित डाटा जारी किया है।
- भारत मौसम विज्ञान विभाग ने नई दिल्ली के मौसम से संबंधित वर्षा और तापमान के लिए अप्रैल 2024 का एक अद्यतन मौसमी दृष्टिकोण से संबंधित डाटा भी जारी किया गया है।
- भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) हमारे देश की वैज्ञानिक प्रगति के इतिहास में 150 वर्ष की सेवा पूरी कर रहा है। भारत में मौसम विज्ञान की शुरुआत प्राचीन काल से मानी जा सकती है।
- भारत में मौसम विज्ञान का इतिहास समृद्ध है और कई शताब्दियों तक फैला हुआ है। मौसम विज्ञान, पृथ्वी के वायुमंडल और इसकी घटनाओं का अध्ययन, ने मौसम के पैटर्न को समझने, प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी करने और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- सार्वजनिक मौसम सेवाएं प्रदान करने के अधिदेश के साथ भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) 15 जनवरी 2025 को अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूरे कर लेगा।

भारत में मौसम विज्ञान सेवाओं का ऐतिहासिक विकास – क्रम :

- भारत में 3000 ईसा पूर्व के प्रारंभिक दार्शनिक साहित्य और उपनिषदों में बादलों के निर्माण और बारिश की प्रक्रियाओं एवं सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति के कारण होने वाले मौसमी चक्रों के बारे में गंभीर चर्चाओं के साक्ष्य मिलते हैं हैं।
- वराहमिहिर की शास्त्रीय कृति, बृहत्संहिता, जो लगभग 500 ई.पू. में लिखी गई थी, इस बात का स्पष्ट प्रमाण देती है कि वायुमंडलीय

प्रक्रियाओं का गहरा ज्ञान उस समय भी मौजूद था।

- कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्षा के वैज्ञानिक माप और देश के राजस्व और राहत कार्यों में इसके अनुप्रयोग के रिकॉर्ड शामिल हैं।
- सातवीं शताब्दी के आसपास लिखे गए कालिदास के महाकाव्य 'मेघदूत' में मध्य भारत में मानसून की शुरुआत की तारीख का भी उल्लेख मिलता है और मानसून के बादलों के मार्ग का भी पता चलता है।
- ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान भारत के विभिन्न हिस्सों में वेधशालाएँ स्थापित कीं। ये वेधशालाएँ मौसम संबंधी घटनाओं सहित खगोलीय प्रेक्षणों पर केंद्रित थीं।
- ब्रिटिश प्रशासकों और वैज्ञानिकों ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मौसमी पैटर्न को समझने के लिए जलवायु संबंधी अध्ययन किए। 1826 में स्थापित बॉम्बे वेधशाला ने प्रारंभिक मौसम अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- भारत में दुनिया की कुछ सबसे पुरानी मौसम विज्ञान वेधशालाएँ अभी भी मौजूद हैं।
- ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के मौसम और जलवायु का अध्ययन करने के लिए सन 1785 में कलकत्ता में और 1796 में मद्रास (अब चेन्नई) में कई स्टेशन स्थापित किए।
- एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में कलकत्ता में और 1804 में बॉम्बे (अब मुंबई) में हुई, जिसने भारत में मौसम विज्ञान में वैज्ञानिक अध्ययन को बढ़ावा दिया।
- कलकत्ता में कैप्टन हैरी पिडिंगटन ने 1835-1855 के दौरान एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में उष्णकटिबंधीय तूफानों से संबंधित 40 पत्र प्रकाशित किए और "साइक्लोन" शब्द गढ़ा, जिसका अर्थ सांप की कुंडली है।
- 1842 में उन्होंने "लॉज़ ऑफ़ द स्टॉर्म्स" पर अपना स्मारकीय कार्य प्रकाशित किया।
- 19वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत में प्रांतीय सरकारों के अधीन कई वेधशालाएँ काम करने लगीं।

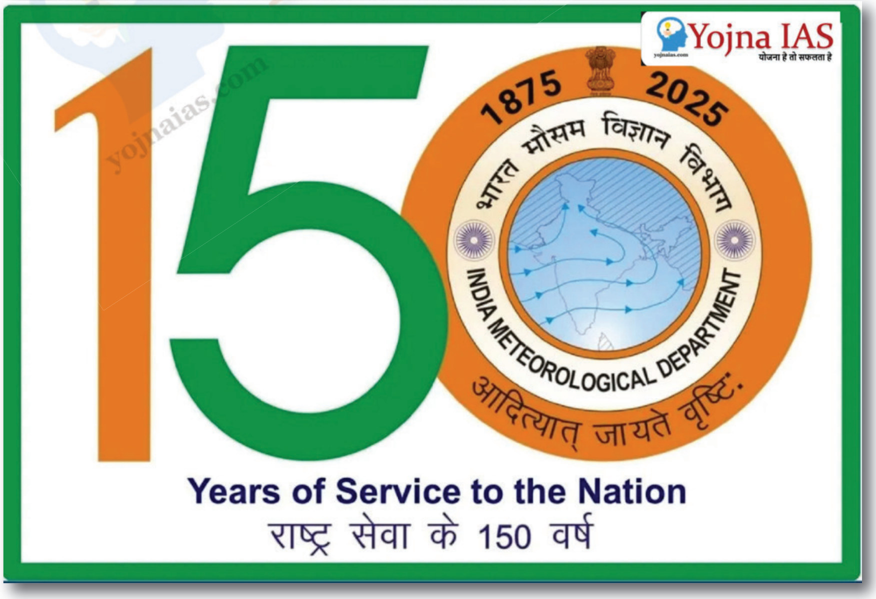

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) :

- इसकी स्थापना सन 1875 में हुई थी। यह देश की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा है और मौसम विज्ञान और उससे संबद्ध विषयों से

संबंधित सभी मामलों के लिए एक प्रमुख सरकारी एजेंसी है।

- देश में सभी मौसम संबंधी कार्यों को एक केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा भारत मौसम विज्ञान विभाग के अधीन लाया गया।
- एचएफ ब्लैनफोर्ड को भारत सरकार का मौसम रिपोर्टर नियुक्त किया गया।
- भारत में भारत मौसम विज्ञान विभाग का पहला महानिदेशक सर जॉन एलियट थे जिन्हें मई 1889 में कलकत्ता मुख्यालय में नियुक्त किया गया था।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) का 150वां स्थापना दिवस

- **मनाया गया** — 15 जनवरी, 2024
- उल्लेखनीय है कि आईएमडी (IMD) की स्थापना वर्ष 1875 में हुई थी।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- **अन्य प्रमुख तथ्य** —
  - आईएमडी (IMD) भारत का पहला संगठन बना, जिसने अपने वैश्विक डेटा विनिमय का समर्थन करने के लिए एक संदेश स्विचिंग कंप्यूटर का उपयोग किया।
  - निरंतर मौसम निगरानी और विशेष रूप से चक्रवात की चेतावनी के लिए भारत विश्व का पहला विकासशील देश था, जिसके पास अपना भूस्थैतिक उपग्रह इंसैट (INSAT) था।

- आईएमडी का मुख्यालय बाद में शिमला, फिर पूना (अब पुणे) और अंततः नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया।
- अतः वर्तमान समय में भारत मौसम विज्ञानं का मुख्यालय: नई दिल्ली में स्थित है।
- आईएमडी ने मौसम की स्थिति की निगरानी और रिकॉर्ड करने के लिए पूरे भारत में अनेक वेधशालाओं के माध्यम से अपने नेटवर्क का विस्तार किया है।
- भारत मौसम विज्ञानं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के अधीन कार्य करती है ।
- मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक इस संगठन के प्रमुख होते हैं।
- भारत में वर्तमान समय में 6 क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र हैं,।
- प्रत्येक क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का मुख्यालय एक उप महानिदेशक के अधीन होता है, जिनका मुख्यालय मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, कलकत्ता, नागपुर और गुवाहाटी में है।
- भारत मौसम विज्ञान विभाग ने भारत में कृषि, शिपिंग और अन्य क्षेत्रों को समर्थन देने के लिए मौसम पूर्वानुमान और चेतावनियाँ

प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया।

- इसके द्वारा बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के अध्ययन को समझने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है।
- आईएमडी ने भारत में चक्रवात ट्रैकिंग और मौसम से संबंधित भविष्यवाणी के लिए अपनी क्षमताओं को विकसित किया है , जिससे अब भारत में आपदा – प्रबंधन से संबंधित तैयारियों में सुधार हुआ है।
- भारत को स्वतंत्रता के बाद, आईएमडी ने अपने आधुनिकीकरण के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों, मौसम रडार, उपग्रह इमेजरी और कंप्यूटर मॉडल को मौसम संबंधी प्रथाओं में शामिल कर अपना आधुनिकीकरण भी किया है ।
- आईएमडी ने भारत के विभिन्न राज्यों में मौसम की निगरानी और पूर्वानुमान सेवाओं के कवरेज को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्रों की स्थापना की।
- आईएमडी ने विशिष्ट कृषि, विमानन और आपदा प्रबंधन पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए अपनी सेवाओं का विस्तार किया।
- भारत में अब आईएमडी की भूमिका मौसम की भविष्यवाणी से आगे बढ़कर जलवायु निगरानी और अनुसंधान करने तक हो गई है।
- भारत 1948 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) का सदस्य बन गया ,जिससे मौसम विज्ञान विभाग को अनुसंधान और डेटा विनिमय में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सुविधा भी मिलती है ।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के कार्य और जिम्मेदारियाँ :

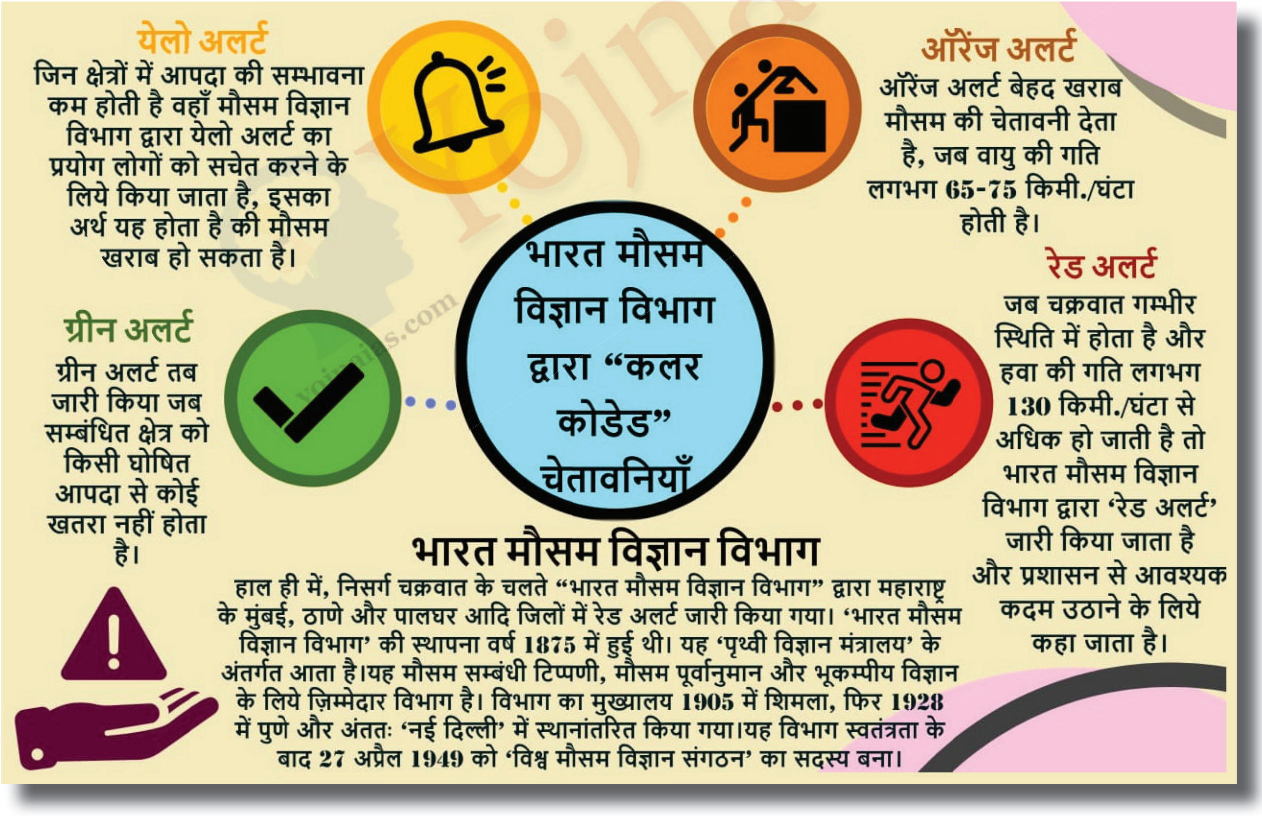

- **मौसम पूर्वानुमान जारी करना :** आईएमडी भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अल्पकालिक और विस्तारित अवधि के लिए मौसम पूर्वानुमान जारी करने के लिए जिम्मेदार है। ये पूर्वानुमान कृषि, बाहरी घटनाओं और आपदा प्रतिक्रिया सहित विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

- **कृषि मौसम विज्ञान के लिए विशेष सेवाएं प्रदान करना :** आईएमडी कृषि के लिए विशेष सेवाएं प्रदान करता है, जिसके तहत भारतीय किसानों को मौसम से संबंधित सलाह प्रदान करना शामिल है। ये सलाह भारत में फसल योजना, सिंचाई और कीट – प्रबंधन में सहायता करती हैं।
- **जलवायु की जानकारी प्रदान करना :** आईएमडी भारत में जलवायु और उससे संबंधित तापमान पैटर्न और वर्षा से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। यह जलवायु परिवर्तन के प्रभाव सहित जलवायु अध्ययन और आकलन में योगदान देता है।
- **चक्रवात ट्रैकिंग और चेतावनी :** आईएमडी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की निगरानी और ट्रैकिंग करता है। यह चक्रवातों के प्रभाव को कम करने के लिए जनता, तटीय अधिकारियों और आपदा प्रबंधन एजेंसियों को चेतावनियाँ और सलाह जारी करता है।
- **विमानन सेवाओं से संबंधित जानकारी प्रदान करना :** आईएमडी देश भर के हवाई अड्डों के लिए मौसम पूर्वानुमान प्रदान करके विमानन संचालन का समर्थन करता है। यह प्रतिकूल मौसम की स्थिति के दौरान सुरक्षित टेक-ऑफ और लैंडिंग सुनिश्चित करता है।
- **मौसम संबंधी अनुसंधान और विकास गतिविधियों की जानकारी प्रदान करना :** आईएमडी मौसम संबंधी अनुसंधान और विकास गतिविधियों में संलग्न है। यह मौसम पूर्वानुमानों और जलवायु पूर्वानुमानों की सटीकता बढ़ाने के लिए अपनी प्रौद्योगिकियों और कार्यप्रणाली को लगातार अद्यतन करता रहता है।
- **भूकंप की निगरानी संबंधी जानकारी प्रदान करना :** आईएमडी भूकंपीय गतिविधियों पर नज़र रखता है और भूकंप से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। भूकंप से संबंधित निगरानी भारत में समग्र आपदा प्रबंधन प्रयासों का एक हिस्सा होता है।

भारत मौसम विज्ञान द्वारा संचालित किए जाने वाले प्रमुख पहल :

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) मौसम संबंधी डेटा एकत्र करने के लिए वेधशालाओं का एक नेटवर्क संचालित करता है, जिसमें सतही मौसम केंद्र, ऊपरी हवा वेधशालाएं और तटीय वेधशालाएं शामिल हैं। **अतः भारत में मौसम विज्ञानं विभाग द्वारा संचालित किए जाने वाला प्रमुख पहल निम्नलिखित है –**

1. **राष्ट्रीय मानसून मिशन (एनएमएम)**
2. **मौसम ऐप**
3. **डॉपलर मौसम रडार**
4. **मेघदूत एग्रो**
5. **दामिनी बिजली**
6. **उमंग**

- भारत ने अपनी रिमोट सेंसिंग क्षमताओं को विकसित किया और मौसम की निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च किए, जिनमें भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली (INSAT) और भारतीय मौसम विज्ञान उपग्रह कार्यक्रम (कल्पना, INSAT-3DR, आदि) शामिल हैं।
- भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अपनी 150वीं वर्षगांठ पर जलवायु सेवाओं के लिए राष्ट्रीय ढांचा (NFCS) को लॉन्च किया है। **जो निम्नलिखित है –**
- **एनएफसीएस का लक्ष्य विज्ञान-आधारित जलवायु निगरानी और भविष्यवाणी सेवाओं के उत्पादन, उपलब्धता, वितरण और अनुप्रयोग को मजबूत करना है।**

- **एनएफसीएस विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) द्वारा शुरू किए गए ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज (जीए-फसीएस) पर आधारित है।**

1. **एनएफसीएस प्रमुख क्षेत्रों, अर्थात् आपदा जोखिम में कमी, कृषि और खाद्य सुरक्षा, जल संसाधन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और ऊर्जा के लिए जलवायु जोखिमों को कम करेगा।**

निष्कर्ष / आगे की राह :

- भारत में मौसम विज्ञान विभाग का इतिहास प्रारंभिक अवलोकनों और ब्रिटिश काल की वेधशालाओं से लेकर आधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना तक की क्रमिक विकास प्रक्रिया को दर्शाता है।
- वर्तमान समय में भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) मौसम पूर्वानुमान प्रदान करने, जलवायु रुझानों की निगरानी करने और मौसम संबंधी अनुसंधान में अंतरराष्ट्रीय प्रयासों में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
- भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा भारत में मौसम पूर्वानुमान, जलवायु निगरानी और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में निरंतर प्रयास लोगों की सुरक्षा और कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
- इसमें ऐसी कोई आवश्यकता नहीं बतायी गयी है कि मतदान केंद्र अधिकारियों के बैठने की जगह के परे भी शीतलन को प्राथमिकता दें।
- भारत में कई प्रमुख राजनेताओं द्वारा यह सुझाव दिया जाता रहा है कि भारत में होने वाले आम चुनाव को फरवरी-मार्च या अक्टूबर-नवंबर के सुहाने मौसम में कराया जाए, लेकिन मतदान खत्म होते ही यह चर्चा ठंडी पड़ जाती है। जिस पर अमल करने की अब सख्त जरूरत है।
- भारत के आकार और आयोजन संबंधी चुनौतियों के कारण चुनाव प्रक्रिया में नवाचार देखने को मिला है और बहु-चरणीय मतदान प्रक्रिया और EVM जैसे उपाय भी अपनाये गये हैं। हर साल तापमान का रिकॉर्ड टूटने तथा लू, जलवायु एवं स्वास्थ्य के बीच संबंध और भी ज्यादा स्पष्ट होने के साथ, अब वक्त आ गया है कि चुनाव प्रक्रिया इस संकट से निपटने के लिए रचनात्मक तरीकों पर विचार करे।

स्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत मौसम विज्ञान विभाग के बारे में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए।

1. कालिदास ने 'मेघदूत' में मानसून की शुरुआत की तारीख का उल्लेख किया है।

2. जनवरी, 2024 में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपनी स्थपाना के 100 वर्ष पूरे कर लिए।

3. इसकी स्थापना 15 जनवरी, 1924 को हुई थी।

4. भारत सन 1948 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) का सदस्य बन गया था।

नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए।

A. केवल 1, 3 और 4

B. केवल 1 और 2

C. केवल 1, 2 और 3

D. केवल 1 और 4

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. 1. मौसम विज्ञान विभाग' के प्रमुख कार्यों को स्पष्ट करते हुए यह चर्चा कीजिए कि मौसम और जलवायु पूर्वानुमान के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी भूमिका के माध्यम से वैश्विक सुरक्षा और आर्थिक विकास में भारत मौसम विज्ञान विभाग का क्या योगदान है ? (UPSC CSE – 2019) (शब्द सीमा – 250 शब्द)

नेपाल की संघीय संसद द्वारा बिम्सटेक चार्टर को अपनाना

(यह लेख ' इंडियन एक्सप्रेस ', ' द हिन्दू ' और 'पीआईबी ' के सम्मिलित संपादकीय के संक्षिप्त सारांश से संबंधित है। इसमें योजना IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के विशेषकर ' अंतर्राष्ट्रीय संस्थान/ संगठन ' खंड से संबंधित है। यह लेख ' दैनिक करंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' नेपाल की संघीय संसद द्वारा बिम्सटेक चार्टर को अपनाना ' से संबंधित है।)

ख़बरों में क्यों ?

- हाल ही में 2 अप्रैल 2024 को नेपाल की संघीय संसद के निचले सदन में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ द्वारा

बिम्सटेक चार्टर के समर्थन से संबंधित प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। नेपाल के निचले सदन में बिम्सटेक चार्टर के समर्थन के प्रस्ताव को बहुमत के साथ समर्थन किया।

- नेपाल के संविधान के अनुसार बिम्सटेक चार्टर को संसद द्वारा समर्थन के बाद ही नेपाल में लागू किया जा सकता है।
- नेपाल के अलावा, बिम्सटेक के अन्य छह सदस्य देशों ने अपनी-अपनी संसदों से बिम्सटेक चार्टर का समर्थन प्राप्त कर लिया है।
- नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 279 (1) में प्रावधान है कि जिस संधि और समझौते में नेपाल को एक पक्ष बनना है, उसका अनुसमर्थन संघीय कानून के अनुसार किया जाएगा।
- नेपाल संधि अधिनियम 2027 के खंड 4 में प्रावधान है कि सरकार और मंत्रिपरिषद को मंजूरी के लिए चार्टर को संघीय संसद में पेश करना होगा। प्रावधान के मुताबिक, सरकार ने बिम्सटेक चार्टर को मंजूरी के लिए संसद में पेश किया था और अंततः नेपाल के निचले सदन में बिम्सटेक चार्टर के समर्थन के प्रस्ताव को बहुमत के साथ समर्थन किया गया।
- बिम्सटेक का गठन सन 1997 में आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति, वैज्ञानिक उपलब्धि, शांति, स्थिरता और कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए किया गया था।
- बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड बिम्सटेक के सदस्य देश हैं।
- नेपाल वर्ष 2004 में बिम्सटेक का सदस्य देश बना है।
- नेपाल की संघीय संसद में बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (BIMSTEC), चार्टर की स्वीकृति क्षेत्रीय सहयोग एवं आर्थिक समृद्धि की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

बिम्सटेक क्या है ?

- **बिम्सटेक** (BIMSTEC) का पूरा नाम – **बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी – सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक को – ऑपरेशन** (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) है।

- यह बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित देशों का एक बहुपक्षीय क्षेत्रीय संगठन है जो दक्षिण एशिया और दक्षिण – पूर्व एशिया के क्षेत्रीय एकता का प्रतीक संगठन हैं।

- इसके 7 सदस्य देशों में से 5 दक्षिण एशिया से हैं, जिनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका शामिल हैं तथा दो दक्षिण – पूर्व एशिया के देशों में से म्याँमार और थाईलैंड हैं।

बिम्सटेक (BIMSTEC) **में शामिल दक्षिण एशिया के** 5 **प्रमुख सदस्य देश निम्नलिखित है** –

1. **बांग्लादेश।**
2. **भूटान।**
3. **भारत।**
4. **नेपाल।**
5. **श्रीलंका।**

बिम्सटेक (BIMSTEC) **में शामिल दक्षिण-पूर्व एशिया के दो देश निम्नलिखित है** –

1. **म्याँमार**
2. **थाईलैंड शामिल हैं।**

- बिम्सटेक न सिर्फ दक्षिण और दक्षिण पूर्व-एशिया के बीच संपर्क बनाता है है बल्कि हिमालय तथा बंगाल की खाड़ी की पारिस्थितिकी को भी जोड़ता है।

- इस संगठन का मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में तीव्र आर्थिक विकास हेतु वातावरण तैयार करना, सामाजिक प्रगति में तेज़ी लाना और इस क्षेत्र में समान हितों के मामलों में सहयोग देना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

बिम्सटेक का इतिहास :

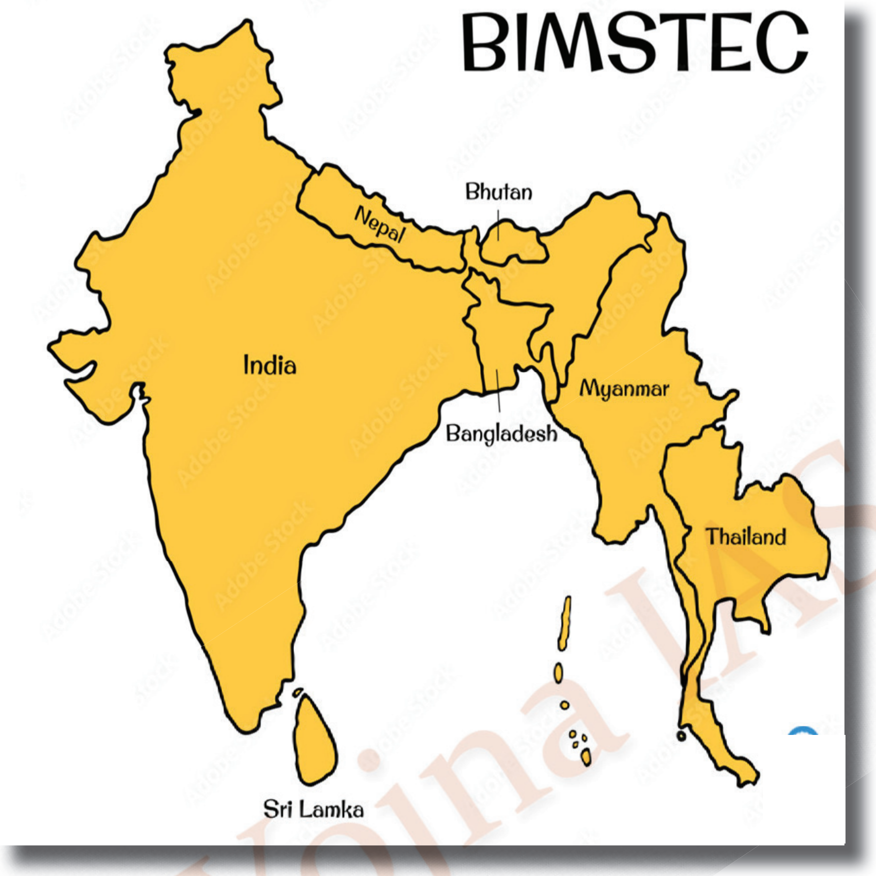

- बिम्सटेक वर्ष 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से एक उप – क्षेत्रीय संगठन के रूप में अस्तित्व में आया।
- प्रारंभ में इसका गठन चार सदस्य राष्ट्रों के साथ किया गया था जिनका संक्षिप्त नाम 'BIST-EC' (बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग) था।
- वर्ष 1997 में म्याँमार के शामिल होने के बाद इसका नाम बदलकर 'BIMST-EC' कर दिया गया।
- वर्ष 2004 में नेपाल और भूटान के इसमें शामिल होने के बाद संगठन का नाम बदलकर **बिम्सटेक अर्थात – ' बे ऑफ़ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक को – ऑपरेशन '** कर दिया गया।

बिम्सटेक का मुख्य उद्देश्य :

1. **दक्षिण एशिया और दक्षिण – पूर्व एशिया के क्षेत्र में तीव्र आर्थिक विकास हेतु वातावरण तैयार करना।**
2. **आपसी सहयोग और एक दूसरे की समानता की भावना को विकसित करना।**
3. **सदस्य राष्ट्रों के साझा हितों के क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना।**
4. **दक्षिण एशिया और दक्षिण – पूर्व एशिया में शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में एक – दूसरे का पूर्ण सहयोग करना।**

बिम्सटेक के प्रमुख सिद्धांत :

बिम्सटेक का प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित आधारों पर कार्य करता है –

1. समान संप्रभुता को मान्यता प्रदान करना।
2. क्षेत्रीय अखंडता को आपस में सम्मान देना।
3. आपस में राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान करना
4. सदस्य देशों के आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप न करना।
5. सदस्य देशों के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की भावना को विकसित करना ।
6. बिम्सटेक के सदस्य देशों के बीच आपस में पारस्परिक लाभ पहुँचाना।
7. सदस्य देशों के मध्य अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग को प्रतिस्थापित करने के बजाय अन्य विकल्प प्रदान करना।

बिम्सटेक की क्षमताएँ :

- यह संगठन दक्षिण एशिया एवं दक्षिण – पूर्व एशिया के मध्य एक सेतु की भाँति कार्य करता है तथा इन देशों के बीच एक सुदृढ़ आपसी

संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है।

- बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में हिंद – प्रशांत में एक व्यापारिक केंद्र बनने की क्षमता है। अतः यह एक ऐसा स्थान है जहाँ पूर्व और दक्षिण एशिया की प्रमुख शक्तियों के रणनीतिक हित आपस में एक – दूसरे से टकराते भी हैं और एक – दूसरे को आपस में जोड़ते भी हैं।

- बिम्सटेक एक संगठन के रूप में सार्क और आसियान संगठनों के सदस्यों के बीच अंतर – क्षेत्रीय सहयोग हेतु एक साझा मंच भी प्रदान करता है।

- इस संगठन के सदस्य देशों की जनसंख्या लगभग 1.5 अरब है जो वैश्विक आबादी का लगभग 22% है और यह 3.8 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर का संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), के बराबर है। अतः बिम्सटेक दक्षिण एवं दक्षिण – पूर्व एशिया के मध्य आर्थिक विकास के एक प्रभावशाली आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है।

- दुनिया के कुल व्यापार का एक-चौथाई हिस्सा प्रतिवर्ष बंगाल की खाड़ी से होकर गुज़रता है। अतः बिम्सटेक दक्षिण एवं दक्षिण – पूर्व एशिया के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी है।

बिम्सटेक की महत्त्वपूर्ण संपर्क परियोजनाएँ :

बिम्सटेक की महत्त्वपूर्ण संपर्क परियोजनाएँ निम्नलिखित है –

1. **कलादान मल्टीमॉडल परियोजना :** यह परियोजना भारत और म्याँमार को जोड़ती है।
2. **एशियाई त्रिपक्षीय राजमार्ग: म्याँमार से होकर भारत और थाईलैंड को जोड़ता है।**
3. **बांग्लादेश – भूटान – भारत – नेपाल (BBIN) मोटर वाहन समझौता :** यह संपर्क समझौता यात्री और माल परिवहन के निर्बाध प्रवाह हेतु किया गया है।

बिम्सटेक भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है ?

बिम्सटेक भारत को तीन प्रमुख नीतियों के साथ दक्षिण एशिया एवं दक्षिण – पूर्व एशिया में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है –

1. **नेबरहुड फर्स्ट नीति :** भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत यह भारत के पड़ोस में होने वाले देशों की सीमा के नज़दीकी क्षेत्रों को प्रधानता देकर व्यापारिक, सामरिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है।
2. **एक्ट ईस्ट नीति :** भारत की एक्ट ईस्ट नीति का उद्देश्य आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय स्तरों पर निरंतर जुड़ाव के माध्यम से एशिया – प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ रणनीतिक संबंध विकसित करना है, जिससे उत्तर पूर्वी राज्यों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके।
3. **भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का आर्थिक विकास नीति :** यह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश और म्याँमार के माध्यम से बंगाल की खाड़ी क्षेत्र से जोड़ना और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का आर्थिक विकास नीति के तहत भारत के पड़ोस के अन्य देशों के साथ अरुणाचल प्रदेश सहित क्षेत्र को भारत को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ना है ।
4. बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों में चीन के बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव के विस्तारवादी प्रभावों से भारत को मुकाबला करने का अवसर प्रदान करता है।
5. भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों के कारण दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क-SAARC) महत्त्वहीन हो जाने के कारण भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ जुड़ने हेतु एक नया मंच प्रदान करता है।

बिम्सटेक के तहत सहयोग के क्षेत्र :

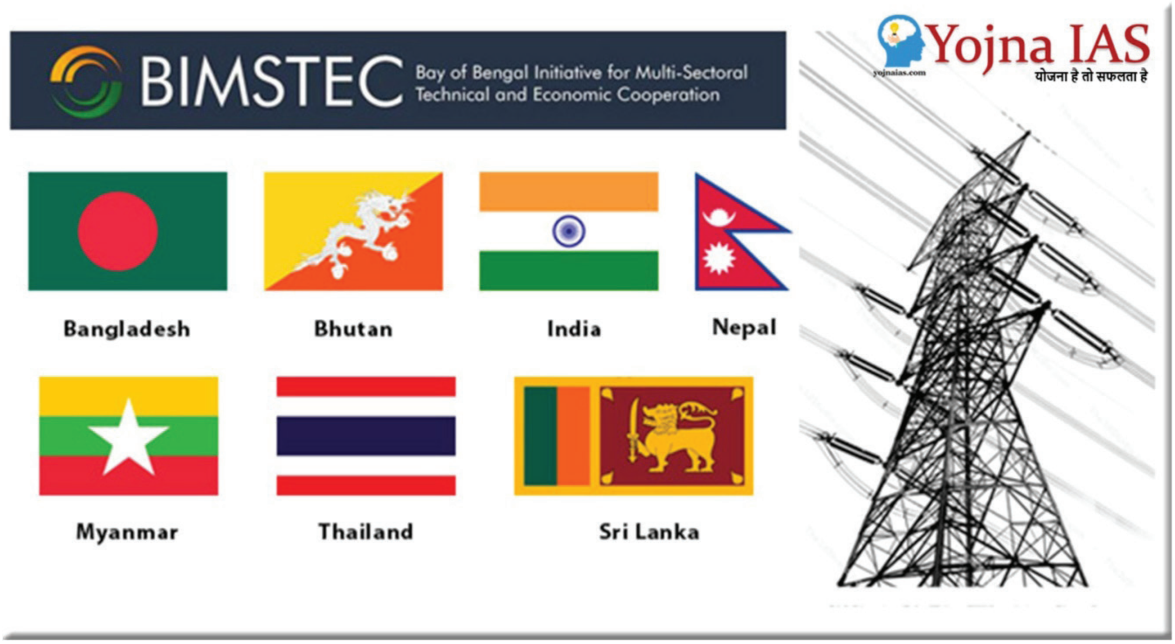

बिम्सटेक के तहत आपस में सहयोग के निम्नलिखित क्षेत्र शामिल है –

1. आपसी व्यापार और निवेश के क्षेत्रों में आपस में सहयोग करना।
2. नवीन प्रौद्योगिकी को हस्तांक्षरित करने में आपस में सहयोग करना
3. ऊर्जा से संबंधित क्षेत्रों के विकास में आपस में सहयोग करना।
4. परिवहन और संचार
5. पर्यटन और पर्यटन के विकास से संबंधित क्षेत्रों में आपसी सहयोग प्रदान करना।
6. मत्स्य पालन से संबंधित क्षेत्रों में आपस में सहयोग करना।
7. कृषि से संबंधित नवीन प्रणालियों को अपनाने में आपस में सहयोग करना।
8. आपस में सांस्कृतिक सहयोग को विकसित करना
9. पर्यावरण और आपदा प्रबंधन में एक – दूसरे की मदद करना।
10. सार्वजनिक स्वास्थ्य में आपस में सहयोग करना।
11. लोगों के बीच आपसी संपर्क स्थापित करना।
12. गरीबी उन्मूलन में आपस में सहयोग करना।
13. आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटना।
14. जलवायु परिवर्तन से संबंधित क्षेत्रों में आपसी सहयोग करना।

वर्तमान में बिम्सटेक के समक्ष विद्यमान चुनौतियाँ :

- बिम्सटेक ने दक्षिण एशिया एवं दक्षिण – पूर्व एशिया के मध्य द्विपक्षीय तनाव न होने के बावजूद भी ज्यादा प्रगति नहीं की है।
- ऐसा लगता है कि भारत ने बिम्सटेक का उपयोग तभी किया है जब वह क्षेत्रीय सेटिंग में सार्क के माध्यम से काम करने में विफल रहा है और थाईलैंड और म्यांमार जैसे अन्य प्रमुख सदस्य बिम्सटेक की तुलना में आसियान की ओर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
- बिम्सटेक ने हर दो साल में शिखर सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई, हर साल मंत्रिस्तरीय बैठकें आयोजित करने की योजना बनाई, लेकिन 2018 तक 20 वर्षों में केवल चार शिखर सम्मेलन हुए हैं।
- बिम्सटेक का फोकस बहुत व्यापक है, जिसमें कनेक्टिविटी, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि आदि जैसे सहयोग के 14 क्षेत्र शामिल हैं। यह सुझाव दिया गया है कि बिम्सटेक को छोटे फोकस क्षेत्रों के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए और उनमें कुशलता से सहयोग करना चाहिए।
- बिम्सटेक के सदस्य देशों के बीच एफटीए के संबंध में सन 2004 में ही बातचीत हुई थी। इस पर बातचीत अभी तक संपन्न नहीं हुई है।
- सदस्य राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय मुद्दे: बांग्लादेश म्यांमार के रोहिंग्याओं के सबसे खराब शरणार्थी संकट का सामना कर रहा है, जो म्यांमार के राखीन राज्य में अभियोजन से भाग रहे हैं। म्यांमार और थाईलैंड के बीच सीमा विवाद चल रहा है।

निष्कर्ष / आगे की राह :

- भारत BIMSTEC को अपनी 'एक्ट ईस्ट' नीति का अभिन्न अंग मानता है, जो हिंद महासागर में व्यापार और सुरक्षा हितों को आगे बढ़ाते हुए दक्षिण-पूर्व एशिया में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। यह क्वाड देशों के इंडो-पैसिफिक दृष्टिकोण के साथ भी संरेखित है।
- भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक है। क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाएं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में मूल्य जोड़ सकती हैं।
- BIMSTEC के सदस्य देश भारत के साथ आपस में डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में अधिक सहयोग करें।
- नवीन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त उद्यम और व्यावसायिक साझेदारी के माध्यम से लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर एक – दूसरे का सहयोग करे ।
- भारत के साथ आर्थिक संबंधों में तेजी से वृद्धि के लिए परिवहन, बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं और पर्यावरण सेवाओं जैसे क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
- हवाई कनेक्टिविटी, भूमि कनेक्टिविटी और समुद्री सुरक्षा पर अधिक जोर दें क्योंकि विश्व के व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र से होकर गुजरता है।
- सभ्यता के मोर्चे पर, लोगों के बीच नए संपर्क और कनेक्टिविटी बनाने के लिए बौद्ध और हिंदू संबंधों को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- बिम्सटेक को भविष्य में नए क्षेत्रों जैसे कि **ब्लू इकॉनमी**, डिज़िटल अर्थव्यवस्था, स्टार्ट-अप और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (Micro, Small and Medium Enterprises- MSMEs) के बीच आदान-प्रदान एवं सहयोग को बढ़ावा देने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- दो संगठन-सार्क और बिम्सटेक-भौगोलिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हालाँकि, यह उन्हें समान विकल्प नहीं बनाता है। सार्क एक विशुद्ध क्षेत्रीय संगठन है, जबकि बिम्सटेक अंतर्क्षेत्रीय है और दक्षिण एशिया और आसियान दोनों को जोड़ता है।
- सार्क और बिम्सटेक कार्यों और लक्ष्यों के मामले में एक दूसरे के पूरक हैं। बिम्सटेक सार्क देशों को आसियान से जुड़ने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। चूंकि सार्क शिखर सम्मेलन केवल स्थगित किया गया है, रद्द नहीं किया गया है, इसलिए पुनरुद्धार की संभावना बनी हुई है। बिम्सटेक की सफलता सार्क को निरर्थक नहीं बनाती; यह दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग में एक नया अध्याय जोड़ता है।

स्रोत – द हिन्दू एवं इंडियन एक्सप्रेस।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. 1. बिम्सटेक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. इसकी स्थापना 6 जून 1997 को बैंकाक घोषणा के माध्यम से की गई थी और इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है।
2. इसके सदस्य देशों में भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार और श्रीलंका शामिल हैं।
3. इसमें दक्षिण-पूर्व एशिया के 5 देश और दक्षिण – एशिया के 2 देश शामिल है।
4. कलादान मल्टीमॉडल परियोजना भारत और नेपाल को आपस में जोड़ती है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन गलत है ?

A. केवल 1, 2 और 3

B. केवल 2, 3 और 4

C. इनमें से कोई नहीं

D. इनमें से सभी।

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. बिम्सटेक के मुख्य उद्देश्य को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि बिम्सटेक दक्षिण एशिया एवं दक्षिण – पूर्व एशिया के मध्य किस प्रकार व्यापारिक, सामरिक और रणनीतिक दृष्टि से आपस में क्षेत्रीय स्थिरता प्रदान करता है ?

भारत में चुनावी बॉण्ड योजना की वैधता बनाम मूल अधिकारों का उल्लंघन

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 – ‘ भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था ’ खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ‘ चुनावी बॉण्ड योजना की वैधता और सूचना का अधिकार, मूल अधिकार ’ खंड से संबंधित है। इसमें YOJNA IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ‘दैनिक करंट अफेयर्स’ के अंतर्गत ‘ भारत में चुनावी बॉण्ड योजना की वैधता बनाम मूल अधिकारों का उल्लंघन ’ से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?

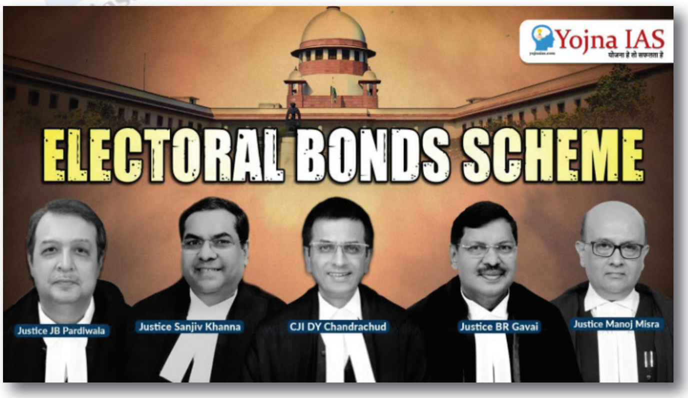

- 15 फरवरी 2024 को भारत के उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार द्वारा शरू की गई को चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द कर दिया है।
- उच्चतम न्यायालय के अनुसार यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है।
- उच्चतम न्यायालय ने इस मामले सुनवाई के दौरान कहा कि भारतीय नागरिकों को भारतीय संविधान द्वारा प्रदत सूचना का अधिकार है।

- उच्चतम न्यायालय ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को साल 2023 के अप्रैल महीने से लेकर अब तक की सारी जानकारियां चुनाव आयोग को देने के लिए कहा और भारत के चुनाव आयोग ये संपूर्ण जानकारी उच्चतम न्यायालय को देने के लिए भी कहा है।
- हाल ही में भारत के उच्चतम न्यायालय के सख्त निर्देश के बाद, भारतीय स्टेट बैंक ने 12 मार्च को भारतीय निर्वाचन आयोग के साथ चुनावी बांड का डेटा साझा किया था।
- भारत के उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग को अपनी वेबसाइट पर डेटा अपलोड करने के लिए 15 मार्च शाम 5 बजे तक का समय दिया था।
- चुनाव आयोग ने 'एसबीआई द्वारा प्रस्तुत चुनावी बांड के प्रकटीकरण' पर विवरण दो भागों में रखा है।
- पोल पैनल द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार, चुनावी बांड के खरीदारों में ग्रासिम इंडस्ट्रीज, मेघा इंजीनियरिंग, पीरामल एंटरप्राइजेज, टोरेंट पावर, भारती एयरटेल, डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर्स, वेदांता लिमिटेड, अपोलो टायर्स, सुला वाइन, वेलस्पन, और सन फार्मा, लक्ष्मी मित्तल, एडलवाइस, पीवीआर, केवेंटर शामिल हैं।
- आंकड़ों के मुताबिक चुनावी बांड भुनाने वाली पार्टियों में बीजेपी, कांग्रेस, एआईएडीएमके, बीआरएस, शिवसेना, टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस, डीएमके, जेडीएस, एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस, जेडीयू, राजद, आप और समाजवादी पार्टी शामिल हैं।
- भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा 15 फरवरी को दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले में, पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने केंद्र की चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया था, जिसने गुप्त राजनीतिक फंडिंग की अनुमति दी थी, इसे "असंवैधानिक" कहा था और चुनाव आयोग को दानदाताओं, उनके द्वारा दान की गई राशि और प्राप्तकर्ताओं का नाम सार्वजनिक करने का आदेश दिया था।.
- स्टेट बैंक द्वारा जारी चुनावी बांड के आंकड़ों के अनुसार, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज पीआर, जिसके प्रबंध निदेशक जाने-माने लॉटरी मैग्नेट सैंटियागो मार्टिन हैं, 12 अप्रैल, 2019 और 24 जनवरी, 2024 के बीच राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़े दानकर्ता थे। भारत और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 14 मार्च को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित किया गया।
- इस अवधि के दौरान फर्म ने चुनावी बांड के माध्यम से ₹1,368 करोड़ की संचयी राशि दान की। संयोग से, प्रवर्तन निदेशालय ने मार्च 2022 में इस फर्म और अन्य कंपनियों के बैंक खातों में ₹411 करोड़ जब्त किए थे और बाद में 9 सितंबर 2023 को पीएमएलए कोर्ट, कोलकाता के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत इसके खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की थी।.
- भारतीय जनता पार्टी ने 12 अप्रैल, 2019 और 24 जनवरी, 2024 के बीच ₹6060.5 करोड़ के चुनावी बांड प्राप्त किया है, जो भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा प्राप्त चुनावी बांड के माध्यम से प्राप्त राशियों में सबसे अधिक है। इस अवधि में, भुनाए गए कुल बांड में भाजपा की हिस्सेदारी 47.5% से अधिक थी।
- भारतीय तृणमूल कांग्रेस को चुनावी बांड के माध्यम से ₹1,609.50 करोड़ (12.6%) की राशि प्राप्त हुई और इसके बाद कांग्रेस को ₹1,421.9 करोड़ (11.1%) प्राप्त हुआ था , जो इस अवधि में नकदीकरण के मामले में दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी पार्टियां हैं।

भारत में चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता से जुड़ा क्रमिक विकास :

भारत में चुनावी बॉन्ड योजना विभिन्न राजनीतिक दलों को फंडिंग का एक तरीका है। चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता से संबंधित मामले में उच्चतम न्यायालय की पांच – न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी 2024 को इसे रद्द करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।

- भारत में वर्ष 2017 में वित्त विधेयक के माध्यम से संसद में चुनावी बॉन्ड योजना पेश की गई थी।
- 14 सितंबर, 2017 को 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' (ADR) नामक एनजीओ ने मुख्य याचिकाकर्ता के रूप में इस योजना के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में चुनौती पेश किया।

- 03 अक्टूबर, 2017 को उच्चतम न्यायालय ने उस एनजीओ द्वारा दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और भारतीय चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया।
- 2 जनवरी, 2018 को केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना को भारत में अधिसूचित किया।

- 7 नवंबर, 2022को चुनावी बॉन्ड योजना में एक वर्ष में बिक्री के दिनों को 70 से बढ़ाकर 85 करने के लिए संशोधन किया गया, जहां कोई भी विधानसभा चुनाव निर्धारित हो सकता है।
- 6 अक्टूबर, 2023 को भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय के बेंच ने इस योजना के खिलाफ याचिकाओं को पांच – न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजा।
- 31 अक्टूबर, 2023 को भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने योजना के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की।
- 2 नवंबर, 2023 को उच्चतम न्यायालय ने इस योजना में अपना फैसला सुरक्षित रखा।
- 15 फरवरी, 2024 को भारत के उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बॉण्ड योजना को रद्द करते हुए सर्वसम्मति से फैसला सुनाया और कहा कि – यह भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को प्रदत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार के साथ-साथ सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है।

भारत के उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बॉण्ड योजना से संबंधित सुनवाई के दौरान मुख्य रूप से दो महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए सहमत हुआ था। वे दो महत्वपूर्ण मुद्दा निम्नलिखित है –

1. राजनीतिक दलों को गुप्त दान की वैधानिकता और राजनीतिक दलों के वित्तपोषण के बारे में जानकारी के नागरिकों के अधिकार का उल्लंघन, संभावित रूप से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है।
2. ये मुद्दे संवैधानिक अनुच्छेद 19, 14 और 21 के उल्लंघन से संबंधित हैं।

चुनावी बॉण्ड योजना का परिचय एवं पृष्ठभूमि :

- भारत में चुनावी बॉण्ड प्रणाली को वर्ष 2017 में एक वित्त विधेयक के माध्यम से संसद में पेश किया गया था और इसे वर्ष 2018 में लागू भी कर दिया गया था।
- भारत में चुनावी बॉण्ड योजना के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले दानदाताओं की नाम को गुप्त रखते हुए या सार्वजानिक किए बिना पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए एक साधन के रूप में कार्य करते हैं।

चुनावी बॉण्ड योजना की विशेषताएँ :

- भारत में चुनावी बॉण्ड योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के बॉण्ड जारी करता है।
- भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी किया गया यह बॉण्ड ब्याज मुक्त होता है और धारक द्वारा मांगे जाने पर देय होता है।
- इस बॉण्ड को कोई भी भारतीय नागरिक अथवा भारत में स्थापित कोई भी संस्थाएँ खरीद सकती हैं।
- भारत में चुनावी बॉण्ड को व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से भी खरीदा जा सकता है।
- भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी यह चुनावी बॉण्ड जारी होने की तिथि से मात्र 15 दिनों तक के लिए ही वैध होता है।

भारत में चुनावी बॉण्ड के लिए अधिकृत जारीकर्त्ता बैंक :

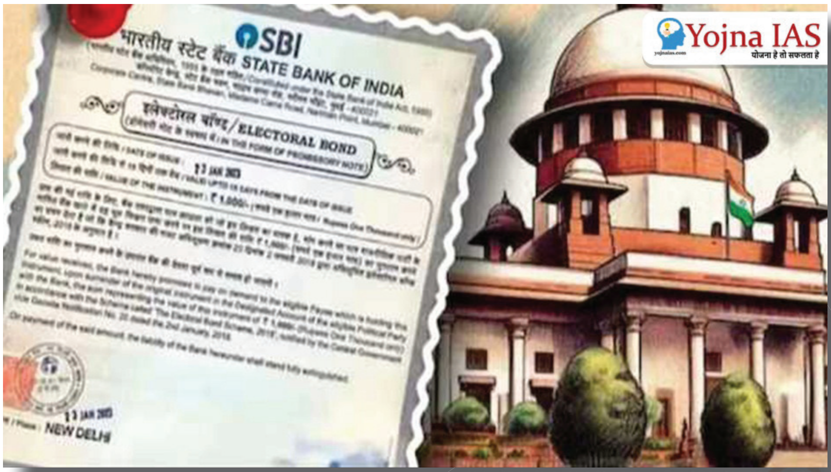

- भारत में चुनावी बॉण्ड के लिए अधिकृत जारीकर्त्ता बैंक भारतीय स्टेट बैंक है।
- भारत में चुनावी बॉण्ड नामित भारतीय स्टेट बैंक शाखाओं के माध्यम से ही जारी किए जाते हैं।

भारत में चुनावी बॉण्ड खरीदने के राजनीतिक दलों की पात्रता :

- **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A** के तहत भारत में केवल वही पंजीकृत राजनीतिक दल ही, जिन्होंने पिछले आम चुनाव में लोकसभा अथवा विधानसभा के लिए डाले गए वोटों में से कम – से – कम 1% वोट हासिल किया हो, वही इस चुनावी बॉण्ड को खरीदने के लिए पाल होते हैं।
- भारत में चुनावी बॉण्ड डिजिटल माध्यम अथवा चेक के माध्यम से ही खरीदे जा सकते हैं।
- भारत में चुनावी बॉण्ड का नकदीकरण केवल राजनीतिक दल के अधिकृत बैंक खाते के माध्यम से ही किया जा सकता है।

चुनावी बॉण्ड के प्रति पारदर्शिता और जवाबदेही :

- भारत में राजनीतिक दलों को भारतीय निर्वाचन आयोग के सामने अपने बैंक खाते के विवरणों का खुलासा करना अनिवार्य होता है।
- चुनावी बॉण्ड में प्रति पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बैंकिंग चैनलों के माध्यम से दान दिया जाता है।
- भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों को चुनावी बॉण्ड से प्राप्त धन के उपयोग का विवरण देना अनिवार्य होता है।

भारत में चुनावी बॉण्ड योजना का लाभ :

- भारत में चुनावी बॉण्ड योजना के तहत प्राप्त धन राशि से भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों की चुनावी फंडिंग में होने वाले खर्चों की पारदर्शिता में वृद्धि होती है ।
- चुनावी बॉण्ड योजना के तहत प्राप्त धन के रूप में या प्राप्त दान के रूप में प्राप्त धन के उपयोग का ब्रज्नीतिक दलों को खुलासा करने की जवाबदेही होती है ।
- चुनावी बॉण्ड योजना के तहत नकद रूप में या नकदी लेन-देन में कमी आती है ।
- दानकर्ताओं के नाम को गुप्त रखा जाता है या दानदाता की पहचान की गोपनीयता का संरक्षण किया जाता है।

भारत में चुनावी बॉण्ड योजना से संबंधित मुख्य चिंताएँ और चुनौतियाँ :

चुनावी बॉण्ड योजना का अपने मूल विचार के विपरीत होना :

- भारत में चुनावी बॉण्ड योजना की आलोचना का मुख्य कारण यह है कि यह अपने मूल विचार अथवा उद्देश्य, चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाने, के बिल्कुल विपरीत काम करती है।
- भारत में चुनावी बॉण्ड योजना से संबंधित आलोचकों के एक वर्ग का यह तर्क है कि चुनावी बॉण्ड की गोपनीयता केवल जनता और विपक्षी दलों के लिए ही होता है, यह दान प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों पर/ के लिए लागू नहीं होता है।

चुनावी बॉण्ड योजना के तहत ज़बरन वसूली की प्रबल संभावना :

- भारत में चुनावी बॉण्ड सरकारी स्वामित्व वाले बैंक (SBI) के माध्यम से बेचे जाते हैं, जिससे सत्तारूढ़ सरकार को यह पता चल जाता है कि उसके विरोधियों की पार्टियों को कौन – कौन फंडिंग कर रहा है।
- चुनावी बॉण्ड योजना के तहत सत्तारूढ़ पार्टी या वर्तमान सरकार को विशेष रूप से बड़ी कंपनियों से पैसे वसूलने के लिए यह सुविधा प्रदान करता है या कभी -कभी यह सत्ताधारी पार्टी को धन न देने के लिए उस व्यक्ति या उस कंपनी को सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा परेशान करने की प्रबल संभावना को भी दर्शाता है। यह किसी भी तरह से सत्ताधारी पार्टी को अनुचित लाभ प्रदान करता है।

सूचना के अधिकार से समझौता होने की प्रबल संभावना :

- भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने लंबे समय से माना है कि सूचना का अधिकार विशेष रूप से चुनावों के संदर्भ में, भारतीय संविधान के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 19) का एक अभिन्न अंग है।
- भारत में केंद्र सरकार ने चुनावी बॉण्ड योजना को दो वित्त अधिनियमों वित्त अधिनियम, 2017 और वित्त अधिनियम, 2016 के माध्यम से इसमें कई संशोधन किए थे, दोनों वित्त अधिनियमों को **'धन विधेयक'** के रूप में लोकसभा में पारित किया गया था ।
- भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाकर्त्ताओं ने इन संशोधनों को 'असंवैधानिक', 'शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांतों' और 'मौलिक अधिकारों' की एक शृंखला का उल्लंघन बताते हुए ही चुनावी बॉण्ड योजना चुनौती दी थी।
- चुनावी बॉण्ड सरकारी स्वामित्व वाले बैंक के माध्यम से बेचे जाते है, इसीलिए सत्ताधारी दल विपक्षी दलों को चंदा देने वाले व्यक्तियों की जानकारी हासिल कर सकता है, और उनके विरुद्ध शत्रुतापूर्ण कार्यवाही कर सकता है।

- राजनीतिक दलों को चुनावी बॉण्ड के ज़रिये प्राप्त राशि का खुलासा करने से छूट प्राप्त है, जिससे चुनावी फंडिंग में अपारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है।
- यह प्रावधान नागरिकों के सूचना के अधिकार का भी उल्लंघन करता है, जो कि अनुच्छेद 19 के तहत एक मूल अधिकार है।

निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया के विरुद्ध :

- भारत में चुनावी बॉण्ड भारतीय नागरिकों को प्राप्त किए गए धन के स्रोत का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं करता है।
- चुनावी बॉण्ड के रूप में दिए गए दान दाताओं के नाम को गुप्त रखना या उसके नाम को सार्वजानिक नहीं करने से उक्त गुमनामी का असर तत्कालीन सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों या सरकार पर लागू नहीं होती है, जो हमेशा भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से डेटा की मांग करके दाता के विवरण तक पहुँच सकती है।
- यह है कि सत्ता में मौजूद सरकार इस जानकारी का लाभ उठा सकती है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों को बाधित कर सकती है।

भारतीय लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के मूल अवधारण के विरुद्ध :

- भारत में केंद्र सरकार ने वित्त अधिनियम 2017 में संशोधन के माध्यम से राजनीतिक दलों को चुनावी बॉण्ड के माध्यम से प्राप्त दान के नाम को बताने में छूट प्रदान की है।
- भारत के किसी भी नागरिकों या मतदाताओं को यह कभी पता ही नहीं चलता है कि किस व्यक्ति ने, किस कंपनी ने या किस संगठन ने किस पार्टी को चुनावी बॉण्ड के माध्यम से कितनी मात्रा में फंड प्रदान किया है।
- किसी भी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था वाले देश के एक प्रतिनिधि लोकतंत्र में नागरिक उन लोगों को अपना वोट देते हैं जो संसद में उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः भारत के नागरिकों को चुनावी बॉण्ड के माध्यम से किसी राजनीतिक दल को कितना धन प्राप्त हुआ है , को जानने का अधिकार होना ही चाहिए।

बड़े कार्पोरेट घरानों और बड़े व्यावसायिक घरानों के लाभ पर केंद्रित होना :

- भारत में चुनावी बॉण्ड योजना ने भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को असीमित कॉर्पोरेट चंदा और भारतीय तथा विदेशी कंपनियों द्वारा गुप्त रूप से वित्तपोषण के द्वार खोल दिया हैं, जिसका भारतीय लोकतंत्र पर गंभीर असर हो सकता है।
- चुनावी बॉण्ड योजना के तहत भारत में कॉर्पोरेट और यहाँ तक कि विदेशी संस्थाओं द्वारा दिए गए दान पर कर में 100% छूट से बड़े व्यावसायिक घरानों को लाभ होता है।

घोर पूंजीवाद (क्रोनी कैपिटलिज़्म) को बढ़ावा देना :

- भारत में चुनावी बॉण्ड योजना राजनीतिक रूप से प्राप्त चंदे पर पूर्व में मौजूद सभी सीमाओं को हटा देती है और प्रभावी संसाधन वाले निगमों को चुनावों को वित्तपोषित करने की अनुमति देती है। परिणामस्वरूप क्रोनी कैपिटलिज़्म का मार्ग प्रशस्त होता है।
- घोर पूंजीवाद/ साठगांठ वाला पूंजीवाद / क्रोनी कैपिटलिज़्म में व्यापारियों और सरकारी अधिकारियों के बीच घनिष्ठ, पारस्परिक रूप से लाभप्रद और साठगांठ वाला पूंजीवादीआर्थिक प्रणाली है। जिससे भारत के लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है।

निष्कर्ष / समाधान की राह :

- भारत में चुनावी बॉण्ड योजना में पारदर्शिता बढ़ाने के उपाय को लागू करने करने की अत्यंत जरूरत है ।
- भारत में राजनीतिक दलों के लिए चंदा प्राप्त करने के संबंध में चुनाव आयोग के समक्ष स्पष्टीकरण संबंधी सख्त नियम लागू होना चाहिए और भारत निर्वाचन आयोग को किसी भी प्रकार के दान की जाँच करने तथा चुनावी बॉण्ड एवं चुनाव एवं चुनाव में व्यय होने वाले धन दोनों ही के संबंध में स्पष्टीकरण देने का सख्त प्रावधान होना चाहिए
- भारत में चुनावी बॉण्ड योजना से प्राप्त धन के संबंध में संभावित दुरुपयोग, दान सीमा के उल्लंघन और क्रोनी पूंजीवाद तथा काले धन के प्रवाह जैसे जोखिमों को रोकने के लिए चुनावी बॉण्ड में वर्तमान में मौजूद कमियों की पहचान करके उसका समाधान करने की अत्यंत जरूरत है।
- वर्तमान भारत की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में लोकतंत्र के प्रति उभरती चिंताओं को दूर करने, बदलते राजनीतिक परिदृश्यों के अनुकूल ढलने और लोकतंत्र में अधिक समावेशी निर्णय लेने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक जाँच, आवधिक समीक्षा तथा सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से चुनावी बॉण्ड योजना की समयबद्ध निगरानी करने को सुनिश्चित करने की अत्यंत जरूरत है।
- भारत के लोकतंत्र और नौकरशाही में व्याप्त भ्रष्टाचार के दुष्चक्र और लोकतांत्रिक राजनीति की गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के लिए राजनीतिक स्तर पर साहसिक सुधारों के साथ-साथ राजनीतिक वित्तपोषण के प्रभावी विनियमन की अत्यंत आवश्यकता है।
- भारत के लोकतंत्र में संपूर्ण शासन तंत्र को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के लिए चुनावी बॉण्ड योजना में व्याप्त मौजूदा कानूनों की खामियों को दूर करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
- भारतीय लोकतंत्र में मतदाता जागरूकता अभियानों की शुरुआत कर मौजूदा चुनावी बॉण्ड योजना में महत्त्वपूर्ण बदलाव लाया जा सकता हैं।
- भारतीय लोकतंत्र में यदि मतदाता लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों के प्रति जागरूक होकर उन उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को अस्वीकार कर देते हैं जो चुनावों में अधिक धन खर्च करते हैं या मतदाताओं को रिश्वत देते हैं, तो भारतीय लोकतंत्र अपने मूल उद्देश्य के प्रति एक कदम आगे बढ़ जाएगा। जो भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश के लोकतंत्र के प्रति उज्जवल भविष्य के संकेत है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में चुनावी बॉण्ड योजना की वैधता बनाम मूल अधिकारों का उल्लंघन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. चुनावी बॉण्ड योजना वित्त विधेयक के माध्यम से संसद में पेश की गई थी।
2. भारत में चुनावी बॉण्ड के लिए अधिकृत जारीकर्त्ता बैंक रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया है।
3. भारत में यह नागरिकों के सूचना के अधिकार का भी उल्लंघन करता है, जो कि अनुच्छेद 19 के तहत एक मूल अधिकार है।
4. चुनावी बॉण्ड ब्याज मुक्त होता है और धारक द्वारा मांगे जाने पर देय होता है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1, 2 और 3

B. केवल 2, 3 और 4

C. केवल 2 और 4

D. केवल 1, 3 और 4

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में चुनावी बॉण्ड योजना नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन कैसे करता है और यह किस प्रकार भारत में एक निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया वाले लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को प्रभावित करता है ? तर्कसंगत चर्चा कीजिए। (शब्द सीमा – 250 अंक -15)

भारत में परमाणु घड़ियाँ

खबरों में क्यों ?

- भारत रणनीतिक रूप से घड़ियों, स्मार्टफोन और लैपटॉप जैसे डिजिटल उपकरणों पर प्रदर्शित समय को भारतीय मानक समय के साथ सिंक्रनाइज़ करने के लिए देश भर में परमाणु घड़ियों का वितरण कर रहा है।
- कारगिल युद्ध के बाद बीस साल पहले शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य पूरे देश में टाइमकीपिंग में एकरूपता , सटीकता और विश्व-सनीयता सुनिश्चित करना है।

क्या है परमाणु घड़ियाँ ?

- परमाणु घड़ियाँ उन्नत टाइमकीपिंग उपकरण हैं जो असाधारण सटीकता के साथ समय को मापने के लिए परमाणुओं के प्राकृतिक

कंपन का उपयोग करती हैं।

- ये घड़ियाँ परमाणुओं के दोलनों पर निर्भर करती हैं, आमतौर पर सीज़ियम या रुबिडियम, जो अत्यधिक स्थिर टाइमकीपिंग संदर्भ के रूप में काम करती हैं।
- इन परमाणु कंपनों की आवृत्ति का पता लगाकर, परमाणु घड़ियाँ प्रति दिन एक सेकंड के कुछ अरबवें हिस्से के भीतर टाइमकीपिंग सटीकता बनाए रख सकती हैं।
- परमाणु घड़ी का विकास 1955 में लुईस एसेन द्वारा किया गया था। वर्तमान में, भारत के पास अहमदाबाद और फ़रीदाबाद में स्थित परमाणु घड़ियाँ हैं।

परमाणु घड़ियाँ कैसे काम करती हैं ?

1. परमाणु घड़ियाँ एक विशिष्ट प्रकार के परमाणु का उपयोग करके संचालित होती हैं जिन्हें **"सीज़ियम परमाणु"** कहा जाता है। सीज़ियम परमाणु अत्यधिक स्थिर होते हैं और एक सटीक आवृत्ति प्रदर्शित करते हैं जिस पर उनके इलेक्ट्रॉन दोलन करते हैं। यह आवृत्ति परमाणु घड़ी में समय निर्धारण के लिए मूलभूत संदर्भ के रूप में कार्य करती है।
2. सीज़ियम परमाणुओं का उपयोग करके समय मापने की प्रक्रिया में, एक परमाणु घड़ी "माइक्रोवेव कैविटी" नामक घटक का उपयोग करती है। यह गुहा सीज़ियम वाष्प युक्त कक्ष के रूप में कार्य करती है। गुहा में एक माइक्रोवेव सिग्नल डाला जाता है, जो सीज़ियम परमाणुओं को कंपन से गुजरने के लिए प्रेरित करता है।
3. इस कंपन के दौरान, सीज़ियम परमाणु अत्यधिक विशिष्ट आवृत्ति वाले विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। परमाणु घड़ी के भीतर एक डिटेक्टर इस उत्सर्जित विकिरण को पकड़ लेता है और इसकी तुलना एक पूर्व निर्धारित मानक आवृत्ति से करता है। इन आवृत्तियों के बीच किसी भी असमानता का उपयोग घड़ी के टाइमकीपिंग तंत्र में समायोजन करने के लिए किया जाता है।

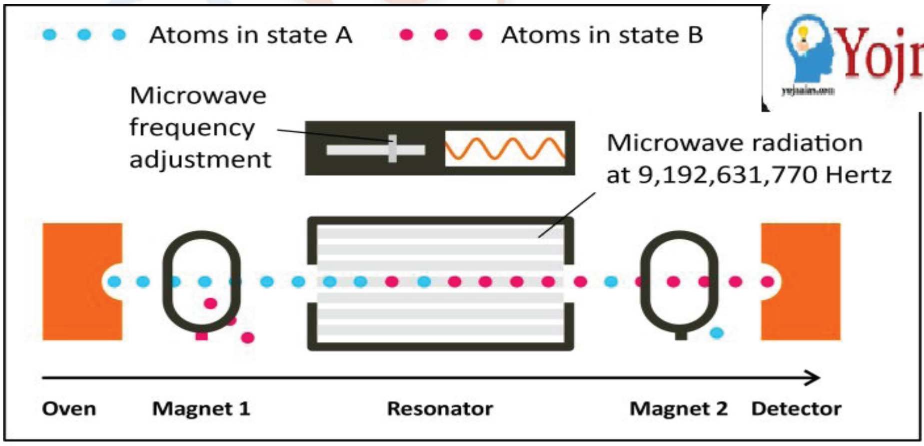

विभिन्न प्रकार के परमाणु घड़ियाँ निम्नलिखित है –

1. **सीज़ियम परमाणु घड़ियाँ :** सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली प्रकार, सीज़ियम परमाणु घड़ियाँ, आमतौर पर माइक्रोवेव अनुनाद विधि का उपयोग करके सीज़ियम-133 परमाणु में संक्रमण की आवृत्ति को मापती हैं। ये घड़ियाँ अत्यधिक सटीक हैं और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ़ यूनिट्स (SI) में दूसरे को परिभाषित करने के लिए प्राथमिक मानक के रूप में काम करती हैं।
2. **रुबिडियम परमाणु घड़ियाँ :** रुबिडियम परमाणु घड़ियाँ सीज़ियम घड़ियों के समान ही काम करती हैं लेकिन इसके बजाय संदर्भ के रूप में रुबिडियम परमाणुओं का उपयोग करती हैं। वे आम तौर पर सीज़ियम घड़ियों की तुलना में छोटे, कम महंगे और अधिक पोर्टेबल होते हैं, जो उन्हें उन अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाते हैं जहां आकार और लागत महत्वपूर्ण कारक होते हैं।

3. **हाइड्रोजन मेसर घड़ियाँ :** हाइड्रोजन मेसर घड़ियाँ सीज़ियम घड़ियों से भी अधिक सटीक होती हैं। वे हाइड्रोजन परमाणुओं के हाइपरफाइन संक्रमण पर भरोसा करते हैं और बहुत अधिक आवृत्तियों पर काम करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर अल्पकालिक स्थिरता और सटीकता होती है। इन घड़ियों का उपयोग आमतौर पर वैज्ञानिक अनुसंधान, उपग्रह नेविगेशन सिस्टम और अंतरिक्ष अभियानों में किया जाता है।

4. **ऑप्टिकल परमाणु घड़ियाँ:** ऑप्टिकल परमाणु घड़ियाँ पारंपरिक परमाणु घड़ियों की तुलना में और भी अधिक सटीकता प्राप्त करने के लिए, स्ट्रोंटियम या येटरबियम जैसे परमाणुओं में ऑप्टिकल संक्रमण का उपयोग करती हैं। ऑप्टिकल आवृत्तियों पर काम करके, वे संभावित रूप से और भी अधिक सटीकता के साथ दूसरे को फिर से परिभाषित कर सकते हैं। इस क्षेत्र में अनुसंधान जारी है, जिसमें ऑप्टिकल घड़ियाँ मौलिक भौतिकी अनुसंधान और वैश्विक पोजिशनिंग सिस्टम जैसे क्षेत्रों में भविष्य के अनुप्रयोगों के लिए संभावनाएं दिखा रही हैं।

भारत द्वारा परमाणु घड़ियाँ को अपनाने के पीछे दिए जाने वाला तर्क क्या है ?

कारगिल युद्ध के दौरान ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) की जानकारी से इनकार के जवाब में भारत ने परमाणु घड़ियां विकसित करने के प्रयास शुरू किए। रक्षा, साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन लेनदेन के लिए स्वतंत्र टाइमकीपिंग क्षमताओं की स्थापना आवश्यक है।

- **राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता :** वर्तमान में, भारत भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (NavIC) जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए विदेशी परमाणु घड़ियों, विशेष रूप से अमेरिका में मौजूद घड़ियों पर निर्भर है। अपनी स्वयं की परमाणु घड़ियाँ विकसित करने से भारत को अपने टाइमकीपिंग बुनियादी ढांचे को नियंत्रित करने की अनुमति मिलती है, जिससे बाहरी स्रोतों पर निर्भरता कम हो जाती है। संभावित संघर्षों के दौरान यह महत्वपूर्ण है जहां विदेशी संकेतों तक पहुंच प्रतिबंधित हो सकती है।

- **उन्नत सटीकता और विश्वसनीयता :** पारंपरिक तरीकों की तुलना में परमाणु घड़ियाँ बेजोड़ सटीकता प्रदान करती हैं। उन्हें पूरे देश में तैनात करके, भारत सभी डिजिटल उपकरणों को भारतीय मानक समय (आईएसटी) के साथ सिंक्रनाइज़ कर सकता है, जिससे एकीकृत और अत्यधिक सटीक समय संदर्भ सुनिश्चित हो सके। इसका मतलब विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन है:

1. **दूरसंचार नेटवर्क के सुचारू संचालन, के लिए :** संचार नेटवर्क के सुचारू संचालन, त्रुटियों को कम करने और निर्बाध डेटा स्थानांतरण सुनिश्चित करने के लिए सटीक समय आवश्यक है।

2. **वित्तीय प्रणालियाँ :** परमाणु घड़ी की सटीकता के साथ वित्तीय लेनदेन की टाइमस्टैम्पिंग त्रुटियों को कम करती है और उच्च-आवृत्ति व्यापार में धोखाधड़ी के खिलाफ सुरक्षा उपाय करती है।

3. **नेविगेशन सेवाएँ :** भारत की NavIC प्रणाली घरेलू परमाणु घड़ियों द्वारा प्रदान की गई बढ़ी हुई टाइमिंग से लाभ उठा सकती है, जिससे अधिक विश्वसनीय पोजिशनिंग डेटा प्राप्त होगा।

4. **साइबर सुरक्षा :** भारत की बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था में, परमाणु घड़ियाँ लेनदेन के लिए टाइमस्टैम्प की सटीकता सुनिश्चित करती हैं, धोखाधड़ी को रोकती हैं, डेटा अखंडता सुनिश्चित करती हैं और साइबर सुरक्षा उपायों को मजबूत करती हैं।

- **"एक राष्ट्र, एक समय":** परमाणु घड़ियों के नेटवर्क के साथ, भारत पूरे देश में एक एकीकृत और सटीक समय मानक प्राप्त कर सकता है। यह राष्ट्रीय एकजुटता की भावना को बढ़ावा देता है और नागरिकों और व्यवसायों के लिए समय-संबंधी गतिविधियों को सरल बनाता है।'

- **महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा और पावर ग्रिड :** परमाणु घड़ियाँ बिजली ग्रिड, परिवहन प्रणाली और आपातकालीन सेवाओं सहित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को सिंक्रनाइज़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (आईआरएनएसएस) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: (यूपीएससी-2018)

1. आईआरएनएसएस के तीन उपग्रह भूस्थिर कक्षाओं में और चार उपग्रह भू-समकालिक कक्षाओं में हैं।
2. आईआरएनएसएस पूरे भारत और इसकी सीमाओं से परे लगभग 5500 वर्ग किलोमीटर को कवर करता है।
3. भारत के पास 2019 के मध्य तक पूर्ण वैश्विक कवरेज के साथ अपना स्वयं का उपग्रह नेविगेशन सिस्टम होगा।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1

B. केवल 1 और 2

C. केवल 2 और 3

D. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर : A

Q2. परमाणु घड़ियों में माइक्रोवेव गुहा का प्राथमिक कार्य क्या है?

A. परमाणु कंपन उत्पन्न करना

B. सीज़ियम परमाणुओं का फंसना

C. विकिरण उत्सर्जित करना

D. आवृत्तियों की तुलना करना

उत्तर: B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. दूरसंचार नेटवर्क, पावर ग्रिड और वित्तीय प्रणालियों के लिए सिंक्रनाइज़ेशन बनाए रखने में उनकी भूमिका पर विचार करते हुए, साइबर हमलों के खिलाफ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की लचीलापन बढ़ाने में परमाणु घड़ियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें।

Yojna IAS
yojnaias.com

भारत में 'विश्व हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 का महत्व

(यह लेख 'दैनिक करंट अफेयर्स' और "विश्व हेपेटाइटिस रिपोर्ट" के विषय विवरण को शामिल करता है। यह विषय यूपीएससी सीएसई परीक्षा के "विज्ञान और प्रौद्योगिकी" अनुभाग में प्रासंगिक है।)

खबरों में क्यों ?

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने हाल ही में वर्ष 2024 के लिए वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत वायरल हेपेटाइटिस के सबसे भारी बोझों में से एक है, जिसके परिणामस्वरूप लीवर में सूजन हो सकती है और संभावित रूप से लीवर कैंसर हो सकता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के इस रिपोर्ट में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है –

भारत में उच्च प्रसार :

1. अनुमान है कि 2022 में 29.8 मिलियन भारतीय हेपेटाइटिस बी से और 5.5 मिलियन हेपेटाइटिस सी से पीड़ित थे।
2. ये संख्याएँ वायरल हेपेटाइटिस के वैश्विक बोझ के एक बड़े हिस्से को दर्शाती हैं।

मृत्यु दर :

1. हेपेटाइटिस बी और सी दोनों क्रोनिक लीवर रोग, सिरोसिस और कैंसर का कारण बन सकते हैं, जो वैश्विक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।
2. पुरुष असमान रूप से प्रभावित होते हैं, और मामलों का एक बड़ा हिस्सा 30-54 आयु वर्ग के लोगों में होता है।

चुनौतियां और उपचार :

1. भारत में इस रोग के रोकथाम में प्रगति के बावजूद,इसके निदान और उपचार करना बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं।
2. इस रोग से संक्रमित कई व्यक्ति अपनी स्थिति से अनजान रहते हैं, जिससे इस रोग के कारण होने वाली मौतों की संख्या में वृद्धि होती है।

हेपेटाइटिस को खत्म करने के लिए वैश्विक स्तर पर किए जा रहे प्रयास :

1. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) वायरल हेपेटाइटिस से निपटने के लिए ठोस वैश्विक प्रयास का आग्रह करता है।
2. परीक्षण और उपचार तक पहुंच का विस्तार करना, रोकथाम के उपायों को मजबूत करना, डेटा संग्रह में सुधार करना और समुदायों को शामिल करना महत्वपूर्ण है।

हेपेटाइटिस को 2030 तक खत्म करना :

1. WHO ने 2030 तक हेपेटाइटिस को खत्म करने के लक्ष्य के साथ एक सार्वजनिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार की है।
2. इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए स्वास्थ्य देखभाल और वित्त पोषण तक पहुंच में असमानताओं को दूर करने के साथ-साथ सस्ती दवाएं और सेवाएं सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

Yojna IAS
yojnaias.com

हेपेटाइटिस के बारे में :

- हेपेटाइटिस की विशेषता यकृत की सूजन है, जो अक्सर वायरल संक्रमण से उत्पन्न होती है, हालांकि अन्य कारक भी इसे ट्रिगर कर सकते हैं। इनमें ऑटोइम्यून स्थितियां, दवा प्रतिक्रियाएं, विषाक्त पदार्थ और शराब का सेवन शामिल हो सकते हैं।
- ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस तब प्रकट होता है जब शरीर यकृत ऊतक को लक्षित करने वाले एंटीबॉडी का उत्पादन करता है। लीवर पोषक तत्वों के प्रसंस्करण, रक्त को शुद्ध करने और संक्रमण से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- लीवर में सूजन या क्षति इसके कार्यों को ख़राब कर सकती है। वायरल हेपेटाइटिस को पांच मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है: हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई, प्रत्येक एक अलग वायरस के कारण होता है।

हेपेटाइटिस के प्रमुख प्रकार :

हेपेटाइटिस ए (एचएवी) :

- यह मुख्य रूप से दूषित भोजन या पानी खाने से फैलता है।
- इस रोग के लक्षणों में थकान, मतली, पेट की परेशानी, भूख न लगना और पीलिया शामिल हैं।
- इस रोग के अधिकांश मामले में यह बिना किसी चिकित्सा के अपने आप ठीक हो जाता है और टीकाकरण एक प्रभावी निवारक उपाय है।

हेपेटाइटिस बी (एचबीवी) :

- यह संक्रमित रक्त, शारीरिक तरल पदार्थ के संपर्क में आने से या बच्चे के जन्म के दौरान संक्रमित मां से उसके बच्चे में फैलता है।
- इस रोग के लक्षणों मेंलक्षणों में थकान, पेट दर्द, गहरे रंग का मूत्र, जोड़ों का दर्द और पीलिया शामिल हैं।
- इसमें क्रोनिक संक्रमण, लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर में प्रगति हो सकती है।
- इसके रोकथाम के लिए अत्यधिक प्रभावी टीकाकरण उपलब्ध है।

हेपेटाइटिस सी (एचसीवी) :

- यह रोग मख्य रूप से रक्त-से-रक्त संपर्क के माध्यम से फैलता है, जैसे सुई साझा करना, या प्रसव के दौरान संक्रमित मां से उसके बच्चे में।
- इस रोग के प्रारंभिक चरण में अक्सर लक्षणहीन होते हैं।
- यह क्रोनिक हेपेटाइटिस, लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर का कारण बनता है।
- इस रोग के उपचार के लिए एंटीवायरल दवाओं में प्रगति के कारण इलाज की दर ऊंची हो गई है।

हेपेटाइटिस डी (एचडीवी) :

- हेपेटाइटिस डी (एचडीवी केवल उन व्यक्तियों में होती है जो पहले से ही हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हैं।
- संचरण मार्ग हेपेटाइटिस बी के समानांतर हैं।
- यह अकेले हेपेटाइटिस बी संक्रमण की तुलना में यह अधिक गंभीर यकृत रोग का कारण बनता है।

हेपेटाइटिस ई (एचईवी) :

- यह आमतौर पर दूषित पानी के सेवन से फैलता है।
- इसके लक्षण भी हेपेटाइटिस ए के समान होते हैं लेकिन गर्भवती महिलाओं में अधिक गंभीर हो सकते हैं।
- हेपेटाइटिस ई आमतौर पर स्व-सीमित होता है लेकिन कुछ मामलों में तीव्र यकृत विफलता का कारण बन सकता है।
- पूर्व और दक्षिण एशिया में प्रचलित, दूषित पानी के माध्यम से फैलता है। हालांकि चीन में एक टीका उपलब्ध है, लेकिन यह अभी तक व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है।

हेपेटाइटिस रोग होने के प्रमुख कारण :

हेपेटाइटिस रोग होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित है –

- **विषाणु संक्रमण :** हेपेटाइटिस कई प्रकार के वायरस के कारण हो सकता है, जिनमें हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई शामिल हैं। प्रत्येक प्रकार एक अलग वायरस के कारण होता है और विभिन्न माध्यमों से फैलता है, जैसे दूषित भोजन या पानी (हेपेटाइटिस ए और ई)), रक्त-से-रक्त संपर्क (हेपेटाइटिस बी, सी, और डी), या एक संक्रमित मां से उसके बच्चे में प्रसव के दौरान (हेपेटाइटिस बी, सी, और ई)।
- **ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस :** ऐसा तब होता है जब शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से लीवर पर हमला कर देती है, जिससे सूजन हो जाती है और लीवर खराब हो जाता है। ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस का सटीक कारण पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन आनुवांशिक और पर्यावरणीय कारक इसमें भूमिका निभा सकते हैं।
- **शराब और नशीली दवाएं :** लंबे समय तक अत्यधिक शराब का सेवन अल्कोहलिक हेपेटाइटिस का कारण बन सकता है, जो शराब के दुरुपयोग के कारण लीवर की सूजन है। कुछ दवाएं, दवाएं और विषाक्त पदार्थ भी हेपेटाइटिस का कारण बन सकते हैं जब उनका चयापचय यकृत द्वारा किया जाता है या जब शरीर उन पर प्रतिकूल प्रतिक्रिया करता है।
- **चयापचयी विकार :** कुछ चयापचय संबंधी विकार, जैसे कि विल्सन रोग और अल्फा-1 ऐन्टीट्रिप्सिन की कमी, लीवर में हानिकारक पदार्थों के संचय का कारण बन सकते हैं, जिससे समय के साथ सूजन और क्षति हो सकती है।
- **अन्य कारण :** हेपेटाइटिस अन्य कारकों के कारण भी हो सकता है जैसे कि फैटी लीवर रोग (गैर-अल्कोहल स्टीटोहेपेटाइटिस), परजीवियों या बैक्टीरिया से संक्रमण, कुछ रसायनों या विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आना, और शायद ही कभी, लीवर के कार्य को प्रभावित करने वाले कुछ वंशानुगत विकारों के कारण।

हेपेटाइटिस से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहल :

- **राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीएचसीपी) :** 2018 में लॉन्च किए गए, एनवीएचसीपी का उद्देश्य मुफ्त परीक्षण और उपचार सेवाएं प्रदान करके वायरल हेपेटाइटिस, विशेष रूप से हेपेटाइटिस बी और सी से निपटना है। कार्यक्रम उच्च जोखिम वाली आबादी की जांच करने, जागरूकता बढ़ाने और किफायती निदान और उपचार तक पहुंच में सुधार करने पर केंद्रित है।
- **टीकाकरण कार्यक्रम :** सरकार ने प्रसव के दौरान मां से बच्चे में वायरस के संचरण को रोकने के लिए शिशुओं के लिए हेपेटाइटिस बी टीकाकरण को अपने नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में एकीकृत किया है। इसके अतिरिक्त, उच्च जोखिम वाले समूहों और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच टीकाकरण कवरेज का विस्तार करने के प्रयास जारी हैं।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? (यूपीएससी-2019)

A. हेपेटाइटिस बी वायरस एचआईवी की तरह ही फैलता है।

B. हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी के विपरीत, कोई टीका नहीं है।

C. विश्व स्तर पर, हेपेटाइटिस बी और सी वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या एचआईवी से संक्रमित लोगों की तुलना में कई गुना अधिक है।

D. हेपेटाइटिस बी और सी वायरस से संक्रमित कुछ लोगों में कई वर्षों तक लक्षण दिखाई नहीं देते हैं।

उत्तर: B

Q2. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हेपेटाइटिस डी केवल उन व्यक्तियों में होता है जो पहले से ही हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हैं।

2. टीके केवल हेपेटाइटिस बी के लिए उपलब्ध हैं।

3. हेपेटाइटिस ई की रोकथाम का प्राथमिक तरीका पीने से पहले पानी को उबालना या उपचारित करना है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

A. केवल एक

B. केवल दो

C. तीनों।

D. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. हेपेटाइटिस के संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर टीके लगाने के प्रति झिझक को बढ़ावा देने में गलत सूचना और दुष्प्रचार की भूमिका का विश्लेषण करें। दुष्प्रचार और गलत जानकारी से बचने और नागरिकों को टीके लगाने के प्रति विश्वास को बढ़ावा देने के लिए सरकार और सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी क्या कदम उठा सकते हैं? तर्कसंगत व्याख्या कीजिए।

Yojna IAS
yojnaias.com

भारत में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए), 1951 और निजता का अधिकार

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र – 2 – ' भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था ' खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए), 1951 और' निजता का अधिकार' खंड से संबंधित है। इसमें योजना IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख 'दैनिक करंट अफेयर्स' के अंतर्गत ' जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए), 1951 और' निजता का अधिकार ' से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?

- हाल ही भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा है कि चुनाव में भाग लेने वाले व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत जीवन और अपनें कुछ पहलुओं के बारे में गोपनीयता का रखने अधिकार है।
- भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह भी माना है किभारत में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हर विवरण का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं हैं।
- भारत के उच्चतम न्यायालय यह फैसला एक विधायक से जुड़े एक विशिष्ट मामले के जवाब में दिया गया था। जिसका चुनाव संपत्ति के रूप में वाहनों का उपयोग करने के बारे में खुलासा करने में विफलता के कारण लड़ा गया था।
- उच्चतम न्यायालय ने विधायक का पक्ष लेते हुए कहा कि – " वाहन, एक बार बेचे जाने के बाद, चुनावी प्रकटीकरण के उद्देश्य से संपत्ति के रूप में योग्य नहीं होते हैं।"

वर्तमान मामले की पृष्ठभूमि :

- भारत के उच्चतम न्यायालय में एक मामला पेश किया गया था, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के एक विधायक ने 2023 के गुवाहाटी उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी।
- जिसमें चुनाव संचालन नियम, 1961 के अनुसार उनकी संपत्ति की घोषणा से तीन वाहनों को हटा दिए जाने के कारण उनके चुनाव को अमान्य कर दिया गया था।
- रुणाचल प्रदेश के उस विधायक पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए), 1951 की धारा 123 का उल्लंघन करने का आरोप

लगाया गया था, जो इन वाहनों के स्वामित्व का खुलासा न करने के लिए "भ्रष्ट आचरण" को परिभाषित करता है।

- भारत के उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में फैसला सुनाया कि – " किसी उम्मीदवार का अपनी उम्मीदवारी के लिए अप्रासंगिक या मतदाताओं के लिए कोई चिंता का विषय नहीं होने वाले मामलों के बारे में गोपनीयता बनाए रखने का निर्णय आरपीए, 1951 की धारा 123 के तहत "भ्रष्ट आचरण" नहीं है। "
- इस तरह का गैर – प्रकटीकरण आरपीए, 1951 की धारा 36(4) के तहत एक महत्वपूर्ण दोष नहीं है।
- भारत के उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि मतदाताओं को उस उम्मीदवार के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है जिसे वे समर्थन देना चाहते हैं।
- भारत के उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उम्मीदवार प्रत्येक चल संपत्ति का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं हैं। जब तक कि यह उनके समग्र संपत्ति मूल्य को प्रभावित नहीं करता है या उनके जीवन स्तर को प्रतिबिंबित नहीं करता है।

भारत में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए), 1951 क्या है ?

- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए), 1951, भारत में एक महत्वपूर्ण कानून है जो संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनावों को नियंत्रित करता है। भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित, आरपीए, 1951 देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए रूपरेखा तैयार करता है।
- यह चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए योग्यता और अयोग्यता, मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया, चुनाव का संचालन और चुनाव से उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान की रूपरेखा बताता है।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए), 1951 के तहत कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है –

- **उम्मीदवारों की योग्यताएँ और अयोग्यताएँ :** जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए), 1951, की धारा 8 से 10, संसद और राज्य विधानमंडलों का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्तियों के लिए आवश्यक योग्यताओं की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। यह अयोग्यता के लिए विभिन्न आधारों को भी निर्दिष्ट करता है, जैसे मानसिक रूप से अस्वस्थ होना, अनुन्मोचित दिवालिया होना, या सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करना।
- **चुनाव का संचालन :** भारतीय संविधान की धारा 21 से 29 चुनाव के संचालन से संबंधित है, जिसमें मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति, उम्मीदवारों के लिए नामांकन प्रक्रिया और मतदान की प्रक्रिया शामिल है।

- **चुनाव संबंधी विवाद :** भारतीय संविधान की धारा 80 से 99 तक चुनाव से उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान का प्रावधान है। इसमें चुनाव याचिकाएं दाखिल करना, चुनाव न्यायाधिकरणों का क्षेत्राधिकार और वे आधार शामिल हैं जिन पर भारत में होने वाले चुनाव – संचालन की प्रक्रिया को चुनौती दी जा सकती है।

- **भारत में चुनाव में होने वाले खर्च :** भारतीय संविधान की धारा 77 से 81F चुनाव के दौरान उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा किए गए खर्च को नियंत्रित करती है। अधिनियम राजनीति में धन के प्रभाव को रोकने के लिए अभियान खर्च पर सीमा लगाता है और उम्मीदवारों को व्यय विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

- **भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) :** जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए), 1951 के तहत चुनाव के संचालन के लिए जिम्मेदार शीर्ष निकाय के रूप में भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) की स्थापना करता है। ईसीआई की शक्तियों और कार्यों को अधिनियम के विभिन्न वर्गों में चित्रित किया गया है, जो इसे चुनावों की निगरानी करने, चुनावी कानूनों को लागू करने और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सशक्त बनाता है।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए), 1951 के तहत भ्रष्ट आचरण क्या होता है ?

- भारत के संविधान की धारा 123 के तहत चुनाव में भ्रष्ट आचरण का वर्णन किसी उम्मीदवार द्वारा चुनाव में सफलता की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के इरादे से किए गए कार्यों के रूप में करती है। इन कार्रवाइयों में विभिन्न प्रकार के कदाचार शामिल हैं, जिनमें रिश्वतखोरी, अनुचित प्रभाव का प्रयोग, गलत जानकारी का प्रसार और धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा जैसे कारकों के आधार पर शत्रुता भड़काना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

- धारा 123(4) चुनाव के नतीजे को प्रभावित करने के उद्देश्य से झूठे बयानों के जानबूझकर प्रसार को शामिल करने के लिए भ्रष्ट आचरण की परिभाषा का विस्तार करती है। यह प्रावधान मतदाताओं की राय में हेरफेर करने के लिए अपनाई गई भ्रामक रणनीति को शामिल करने के लिए निषिद्ध गतिविधियों के दायरे को बढ़ाता है।

- अधिनियम की धारा 123(2) अनुचित प्रभाव के मुद्दे को संबोधित करती है, जिसमें एक उम्मीदवार, उनके एजेंटों, या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप शामिल है जो चुनावी अधिकारों के स्वतंत्र अभ्यास में बाधा डालता है। इस तरह के हस्तक्षेप में धमकी, सामाजिक बहिष्कार, किसी सामाजिक समूह या समुदाय से निष्कासन, या आध्यात्मिक परिणामों के आधार पर जबरदस्ती रणनीतियां शामिल हो सकती हैं।

भारत में निजता का अधिकार क्या है ?

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसकी व्याख्या निजता के अधिकार को शामिल करने के लिए की गई है। यह अधिकार किसी व्यक्ति की स्वायत्तता, गरिमा और व्यक्तिगत पसंद को राज्य या किसी अन्य इकाई के अनुचित हस्तक्षेप से बचाने तक फैला हुआ है।

- जस्टिस के.एस. के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ ने संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक स्वतंत्रता के आंतरिक भाग के रूप में निजता के अधिकार की पुष्टि की। न्यायालय ने माना कि गोपनीयता अन्य मौलिक अधिकारों के प्रयोग के लिए आवश्यक है और स्वतंत्रता और गरिमा की अवधारणा का अभिन्न अंग है।

- भारत में निजता का अधिकार पूर्ण और अविवेकी तथा प्रतिबंधित नहीं है क्योंकि यह कुछ परिस्थितियों में उचित प्रतिबंधों के अधीन हो सकता है। जैसे – राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, या अन्य मौलिक अधिकारों की सुरक्षा आदि के संदर्भ में यह प्रतिबंधित भी होता है। इसके अतिरिक्त, डेटा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों से निपटने और सुरक्षा की निगरानी के दृष्टिकोण से और अन्य गोपनीयता – संबंधित मामलों को नियंत्रित करने वाले कानून और नियम तकनीकी प्रगति और बदलते सामाजिक मानदंडों से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए विकसित होते रहते हैं।

निष्कर्ष / आगे की राह :

- भारत में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए) 1951 द्वारा संविधान की मान्यता और निर्वाचन प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है।
- यह अधिनियम भारतीय नागरिकों को निर्वाचनी अधिकार देता है और लोकतंत्र को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- इस अधिनियम के तहत, निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है, जो निर्वाचन प्रक्रिया का प्रबंधन करता है और निर्वाचनों को सुनिश्चित करता है कि वे संविधान के तहत होते हैं।
- निजता का अधिकार भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण अधिकार है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आता है और जो भारत में अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
- यह अधिकार नागरिकों को उनकी निजी जीवन और उनकी व्यक्तिगत जानकारी की रक्षा करता है। यह सामाजिक, आर्थिक, राज-नीतिक और कानूनी प्रक्रियाओं में नागरिकों की गोपनीयता की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- निजता के अधिकार का पालन करना संविधान की मौलिक सिद्धांतों में से एक है, जो भारतीय समाज की न्यूनतम सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं को समर्थन करता है।
- यह अधिकार नागरिकों को आजादी और अधिकारों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला प्रदान करता है जो उन्हें स्वतंत्रता और स्वाधीनता के अनुभव करने का अवसर देती है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. निजता का अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक भाग के रूप में संरक्षित है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त कथन को सही और उचित रूप से दर्शाता है?

A. भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 और संविधान के 42वें संशोधन के तहत प्रावधान।

B. भारतीय संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 17 और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत।

C. संविधान के अनुच्छेद 21 और भाग III में गारंटीकृत स्वतंत्रता।

D. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 और संविधान के 44वें संशोधन के तहत प्रावधान।

उत्तर: C

Q2. भारत में लोकसभा चुनाव के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकता है ?

A. भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति।

B. उस निर्वाचन क्षेत्र का निवासी जहां से चुनाव लड़ा जाना है।

C. भारत का कोई भी नागरिक जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है।

D. भारत का कोई भी नागरिक।

उत्तर: C

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. चुनावी खुलासों के संदर्भ में निजता के अधिकार की सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या और उम्मीदवारों और मतदाताओं पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करें। (शब्द सीमा – 250 अंक – 15) (UPSC CSE – 2019)

Q2. चुनावी अभियानों के दौरान आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के प्रावधानों का पालन करने या उल्लंघन करने वाले राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के नैतिक निहितार्थों पर विचार करें। (शब्द सीमा – 250 अंक – 15) (UPSC CSE – 2013)